न्याय सब के लिए
ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

नागरिकों के मौलिक अधिकार

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

अध्याय 1

कानून का राज और संविधान

हमारे देश में कानून सर्वोपरि है, व्यक्ति नहीं। इसीलिये हम कहते हैं कि हमारे यहां कानून का शासन है । इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिस पर कानून की मनाही हो ।

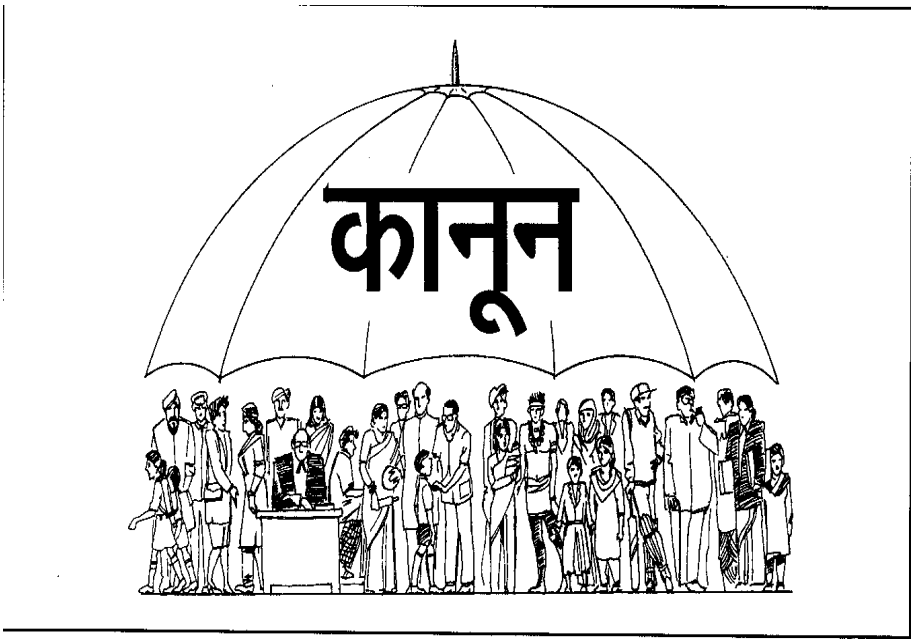

कानून क्या है ?

कानून का मतलब है नियम। हमें हर काम करने के लिये किसी न किसी नियम की जरूरत होती है । अपने घर में भी हमारे लिये कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है जिससे परिवार का हर सदस्य सुखी रहे जैसे खाना खाने के लिये समय और स्थान तय रहते हैं, चीजें एक खास तरीके से रखी जाती हैं। यदि हर आदमी नियमों को मानता है तो घर का काम सुचारू रूप से चलता है। जब हम खेलते हैं तब भी कुछ नियमों का पालन करते हैं ताकि हर खेलने वाले को मालूम हो कि उसे क्या करना चाहिये ।

क्या इन्हीं का मतलब कानून है ?

कानूनों का मतलब वे नियम हैं जो समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिये बनाये जाते हैं। इन नियमों का पालन करना हरेक के लिये जरूरी है। यह राज्य द्वारा बनाये जाते हैं। बोलचाल की भाषा में हम राज्य को सरकार भी कहते हैं। सरकार के बनाये कानूनों का पालन करना सबके लिये अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसे जुर्माना या सजा मिलेगी। जुर्माना या सजा भी निश्चित नियमों के अनुसार ही दी जा सकती है। इन सभी नियमेां के समूह को कानून कहते हैं।

हमारे गांव में जमींदार लोगों से सोलह से लेकर अठारह घंटे तक काम लेता है। वह लेागों से यहां तक कहता है कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। जो लोग उसका हुक्म नहीं मानते उनको वह बेंतों से मारता है। क्या जमीदार सरकार है।क्या वह जो कुछ कहता है कानून है?

नहीं। जमींदार सरकार नहीं है। उसे कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। वह सिर्फ अपने काम के लिये नियम तय कर सकता है। ये नियम भी सरकार द्वारा बनाये गये कानून के अनुसार होने चाहियें। जमींदार को किसी को सजा देने का अधिकार नहीं है।

ठीक इसी तरह आपके घर में लागू नियमों को कानून नहीं कहा जा सकता।

तो फिर सरकार कौन है ?

देश का काम सुचारू रूप से चलाने वाले सभी व्यक्ति और संस्थायें ही सरकार हैं।

चुने हुए प्रतिनिधि, कलेक्टर, पंचायतें, बिजली विभाग, राज्य यातयात कंपनी, डाकतार विभाग, ये सभी सरकार के अंग हैं।

सरकार तो एक बहुत बड़ी प्रणाली है जिसमें हजारों लोग काम करते हैं। क्या ये सब लोग हम पर शासन कर सकते हैं ?

नहीं। हमारे देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। इसका मतलब है कि न कोई व्यक्ति शासक है न कोई व्यक्ति प्रजा है। सरकार जनता द्वारा जनता के लिये चलाई जाती है। कानून भी जनता की आवश्यकताओं और इच्छाओं के अनुसार बनाये जाते हैं।

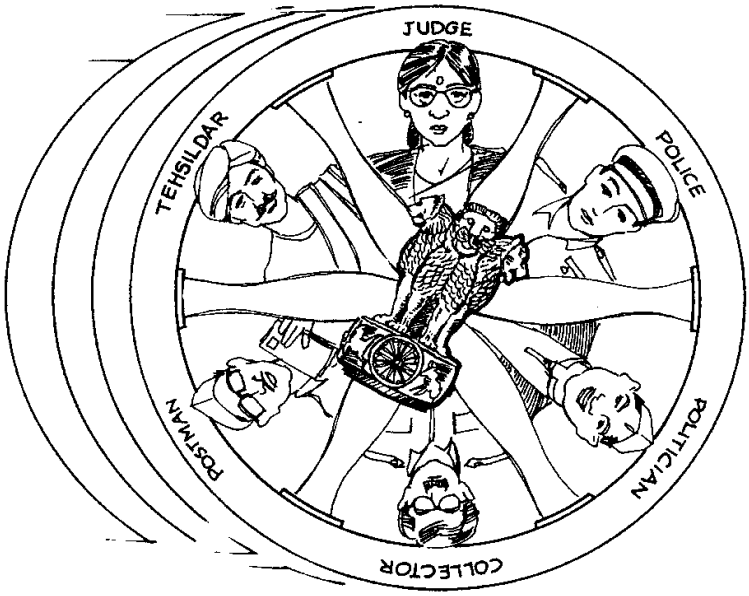

हमने कभी कोई सरकार नहीं चलायी, न ही कोई कानून बनाया। तो क्या इसका मतलब है कि सिर्फ कुछ लोगों को ही कानून बनाने का अधिकार है ?

जब हम कहते हैं कि सरकार जनता की है और जनता खुद कानून बनाती है, तो हमारा मतलब यह नहीं होता कि हर आदमी कानून बना सकता है यह एक असंभव बात होगी क्योंकि देश में करोड़ों लोग रहते हैं। यदि वे सभी लोग कानून बनाने लगें तो कानूनों की संख्या इतनी ज्यादा हो जायेगाी कि कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकेगा। इसलिये हम सरकार चलाने और कानून बनाने के लिये कुछ लोगों को चुनते हैं।

ये चुने हुये लोग कौन होते हैं ?

विधान सभा या संसद के ये सदस्य जनता द्वारा चुनाव के जरिये चुने जाते हैं। चुनाव का मतलब है हमारे द्वारा वोट देकर हममें से ही किसी को सरकार चलाने के लिये चुना जाना।

संसद सभा कहां स्थित है ?

पूरे देश के लिये कानून बनाने के लिये जिन लोगों को हम चुनते हैं उन्हें संसद का सदस्य कहा जाता है। ये संसद सदस्य लोक सभा में बैठते हैं। संसद देश की राजधानी दिल्ली में एक भवन है। इसके अलावा हर राज्य के निवासी अपने–अपने राज्य में कानून बनाने के लिये कुछ प्रतिनिधि चुनते हैं। इन्हें विधायक कहा जाता है और वह राज्य की विधान सभा में बैठते हैं जो हर राज्य की राजधानी में स्थित है।

हम कैसे जानेंगे कि कोई कानून बना या नहीं ?

जितने भी कानून बनाये जाते हैं वे सभी लिखित होते हैं। किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के सिर्फ कह देने से कानून नहीं बन जाता।

एक जनसभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि चौदह साल से कम उम्र के सभी बच्चों को स्कूल भेजा जाना चाहिये और जो माता–पिता ऐसा नहीं करते उन्हें सजा मिलेगी।

यह सही है कि प्रधनमंत्री एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। फिर भी जब तक लोक सभा ऐसा नियम नहीं बनाती तब तक सिर्फ प्रधानमंत्री के कहने से किसी व्यक्ति को अपने बच्चों को स्कूल न भेजने के कारण सजा नहीं दी जा सकती।

क्या हम जिन्हें कानून बनाने के लिये चुनते हैं, वे कोई भी कानून बना सकते हैं ?

नहीं। ये लोग अपनी मर्जी से कानून नहीं बना सकते। ये जनता के प्रतिनिधि हैं और इसलिये उन्हें जनता की इच्छाओं के अनुसार ही काम करना है। यदि ये ऐसा नहीं करते तो जनता अगले चुनाव में इनकी जगह दूसरे प्रतिनिधि को चुन सकती है।

यदि एक बुरा कानून बन जाये तो क्या हमें उसे अगले चुनाव तक सहना पड़ेगा?

नहीं सभी कानून संविधान के अनुसार ही होने चाहिये। यदि कानून संविधान के खिलाफ है तो हम उसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय देश की सबसे बड़ी अदालत है।

संविधान क्या है?

संविधान देश का बुनियादी कानून है। यह एक किताब के रूप में लिखित है। इसमें उन सभी नियमों का जिक्र है जिनके अनुसार ही देश का काम-काज चलाया जाता है। संविधान में कुछ ऐसे नियम और सिद्धांत भी लिखे गये हैं जिनका पालन हर सरकार को कानून बनाते वक्त करना पड़ता है। यह नियम और सिद्धांत आसानी से बदले नहीं जा सकते। संविधान द्वारा कानून के शासन की व्यवस्था की गई हैं, किसी व्यक्ति के शासन की नहीं।

कानून द्वारा शासन का क्या मतलब है?

पहले हमारे देश में राजाओं का शासन था।राजा तय करते थे कि सामाजिक व्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए क्या कानून बनाये जाने चाहिये। राजा को कोई भी निर्णय लेने का पूरा अधिकार था। उस पर कोई अंकुश नहीं था। वह तब चाहता तब किसी भी कानून को बिना जनता की राय की परवाह किये या बिना किसी पूर्व सूचना के बदल सकता था। कुछ अच्छे और न्याय प्रिय राजा भी हुआ करते थे। लेकिन वे बहुत कम थे। ज्यादातर राजा अपनी ताकत से आम जनता का शोषण और दमन करते थे। अब हमारे देश में प्रजातंत्र है, और हम सरकार को वोट देकर चुनते हैं। कोई भी सरकार चाहे वो किसी भी पार्टी या विचारधारा की हो, संविधान के अनुसार काम करने के लिए बाध्य

है। इसी लिये हम कहते हैं कि हमारे देश में कानून का राज चलता है, किसी व्यक्ति का नहीं।

यदि हमारे पास कानून बनाने के लिये सरकार है तो हमें संविधान की क्या जरूरत है?

कोई भी सरकार गलत या बुरे कानून बना सकती है चाहे हम लोगों ने ही उसे क्यों ना चुना हो। सरकार ऐसा ना करे इसका हल संविधान में है। हर कानून संविधान के अनुसार ही बनाना पड़ता है। हमारा संविधान 1950 में बना। उसके पहले हमारा कोई संविधान नहीं था। अंग्रेज सरकार तथा अन्य राजा महाराजा मनमाना कानून बनाते थे अब यह नहीं हो सकता। इसका कारण संविधान है।

तहसीलदार आपके गांव आता है और किसी जमीन पर यह कह कर कब्जा कर लेता की पंचायत भवन के लिये इसकी जरूरत है।

तहसीलदार ऐसा नहीं कर सकता। उसे किसी की जमीन कब्जा करने का अधिकार नहीं है। सरकार भी कुछ खास जरूरतों के लिये एक लिखे हुये कानून के अंतर्गत ही जमीन ले सकती है। किसी की जमीन लेने के लिये कानूनी प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है।

क्या मुख्यमंत्री या कलेक्टर जैसा कोई उच्च अधिकारी हमारी जमीन ले सकता है?

नहीं। बड़े से बड़ा अधिकारी भी बिना जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी किये बिना आपकी जमीन नहीं ले सकता। इसीलिये कहते हैं कि हमारे देश में कानून का राज है किसी आदमी का नहीं चाहे वह कितना ही बड़ा हो।

व्यक्ति की तुलना में सरकार या प्रशासन शक्तिशाली होता है और यदि सरकार ज्यादती करने लगे तो नागरिक असुरक्षित हो जायेंगे। इसीलिये हमें संविधान की जरूरत है। संविधान बताता है कि सरकार को क्या करने का अधिकार है। और क्या करने का नहीं।

संविधान किस तरह सरकार से नागकरिकों की सुरक्षा करता है ?

संविधान में व्यवस्था है कि नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों को सरकार कानून बनाकर भी उनसे छीन नहीं सकती। इस तरह सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो नागरिक के बुनियादी अधिकारों पर चोट करें या छीन लें।

अधिकारों का मतलब क्या है?

यदि आपके पास कोई अधिकार है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि किसी दूसरे का कर्तव्य है कि वह आपके लिये कुछ खास चीज करे। आपके पास अधिकार होने का यह मतलब भी हो सकता है कि कोई ऐसी चीज भी है जो दूसरा आपसे नहीं करवा सकता। दूसरे शब्दों में, आप यह मांग कर सकते हैं कि कोई बात आपके साथ जरूर की जाये या किसी हालत में न की जाये। अगर ऐसा नहीं होता तो दूसरा व्यक्ति जो कोई बात आपके लिये करने या न करने को बाध्य है, सजा का हकदार होगा। यदि आपके पास कोई अधिकार है तो उसके परिणामस्वरूप किसी और व्यक्ति का कोई कर्तव्य भी है। यानि हर अधिकार के साथ एक कर्तब्य भी जुड़ा रहता है। बिना कर्तव्यों के अधिकारों का अस्तित्व संभव नहीं है।

प्रसाद अपने गांव जाने के लिये रेल का टिकट खरीदा। उसे एक आरक्षित सीट भी दी गई। प्रसाद का **अधिकार** है कि वह उस सीट पर बैठे। रेल प्राधिकरण का कर्तव्य कि वह उसे सीट मुहैया करवाए। यदि रेल प्राधिकरण प्रसाद के टिकट और आरक्षण होने के बाबजूद सीट नहीं दें, तो प्रसाद उसके विरूद्व कार्यवाही कर सकता है। प्रसाद को इसके लिये कानूनी प्रक्रिया के अनुसार मुवाअजा दिया जायेगा। यदि कोई और प्रसाद की सीट पर बैठ जाए तो रेल अधिकारियों का कर्तव्य है कि उसे वह सीट दिलवाए। गलत तरीके से किसी दूसरे की सीट ले लेने से उस व्यक्ति को दंड भी दिया जा सकता है।

मौलिक अधिकारों से आपका क्या मतलब है?

मौलिक अधिकार का मतलब है कि ऐसा अधिकार जो जीवन के लिये आवश्यक है। हर मनुष्य को कुछ बातों की जरूरत होती हैं जिनके बिना वह अच्छी जिन्दगी जी नहीं सकता। ऐसी सभी बातों को मौलिक अधिकार कहते हैं। हमारे देश का संविधान हमारे सभी मौलिक अधिकारों की गांरटी देता है। ये अधिकार हैं :

1. जिंदा रहने का अधिकार। जिसका मतलब है खाने-पीने और सांस लेने का अधिकार तथा खतरे से हमारे शरीर की रक्षा का अधिकार। इसे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं।

2. हमारे खिलाफ भेद भाव न हो इस बात का अधिकार या हमारे साथ बदसलूकी या क्रूरता न हो इस बात का अधिकार। इसे समानता का अधिकार कहते हैं।

3. अच्छी जिंदगी जीने के लिये कुछ विशेष बातें करने का अधिकार। जैसे सोचने की अजादी, बात करने की आजादी, घूमने फिरने की आजादी, लोगों से मिलने तथा विचारों का आदान -प्रदान करने की आजादी, रहने तथा यात्रा करने की आजादी। इसे स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं।

4. कुछ और अधिकार जैसे अपनी मर्जी का धर्म मानने का अधिकार, अपनी संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार वगैरह।

अगले कुछ पन्नों में हम इन सभी अधिकारों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।

साधारण

अनुच्छेद 12. परिभाषा – इस भाग में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, ''राज्य'' के अन्तर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रतयेक राज्य की सरकार और विधान- मंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं ।

अनुच्छेद 13. मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां–

(1) इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्यक्षेत्र में प्रदत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं।

(2) राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी।

अध्याय 2

राज्य और कानून

संविधान किस तरह हमारे मूलभूत अधिकारों की रक्षा करता है ?

संविधान, राज्य को ऐसा कोई भी कानून बनाने या काम करने को मना करता है जो हमारे मौलिक अधिकारों से हमें वंचित करता है। दूसरे शब्दों में हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है।

संविधान के अनुसार :

- राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जो हमें हमारे मौलिक अधिकारों से वंचित करता है।

- राज्य ऐसा भी कोई कानून नहीं बना सकता जो हमारे मौलिक अधिकारों को कम करता है।

- कोई भी कानून या कानून का हिस्सा जो हमें हमारे मौलिक अधिकारों से वंचित करता है अवैध होगा, यानि यह लागू नहीं होगा।

"राज्य'' का क्या अर्थ है ?

हमारे संविधान में राज्य का अर्थ है वे सभी लोग, अभिकरण या संस्थायें जो राज्य द्वारा चलाये जाते हैं। आम भाषा में हम इन्हें सरकार कहते हैं।

संसद का कार्य पूरे देश के लिये कानून बनाना है। संसद "राज्य '' का एक अंग है ।

हमारा देश बहुत बड़ा है। इसे छोटे-छोटे क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जिन्हें राज्य कहते हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडू, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, वगैरह। हर राज्य में विधानसभा है जो अपने क्षेत्र के लिये कानून बनाती है। यह विधान सभा राज्य का हिस्सा हैं।

देश में सरकार चलाने का काम विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा किया जाता है। जैसे शिक्षा मंत्राालय स्कूल चलाता है, डाक-तार सेवाएं डाक-तार विभाग चलाता है। ये मंत्रालय और विभाग सरकार कहलाते हैं। यदि ये केन्द्र सरकार के हिस्से हैं तो इन्हें भारत सरकार कहा जाता है और यदि ये राज्य सरकार के अंतर्गत हैं तो इन्हें राज्य सरकार कहा जाता है। जैसे हरियाणा सरकार, वगैरह। ये भी (विभाग और मंत्रालय) ''राज्य'' के हिस्से हैं।

जिला प्रशासन अथवा कलेक्टर, तहसीलदार, पुलिस, पी.डब्लू.डी. और नगर निगम ये सभी सरकार चलाने का काम करते हैं और राज्य के हिस्से हैं।

पंचायतें भी सरकार का काम करती हैं और ये भी ''राज्य'' का हिस्सा हैं।

कुछ संस्थाएं सरकार के विभागों का हिस्सा नहीं होती और स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। लेकिन वे शासन के निर्देशों के अनुसार आम जनता के हित का काम करती हैं मिसाल के तौर पर विधुत बोर्ड। ये भी ''राज्य'' का हिस्सा हैं।

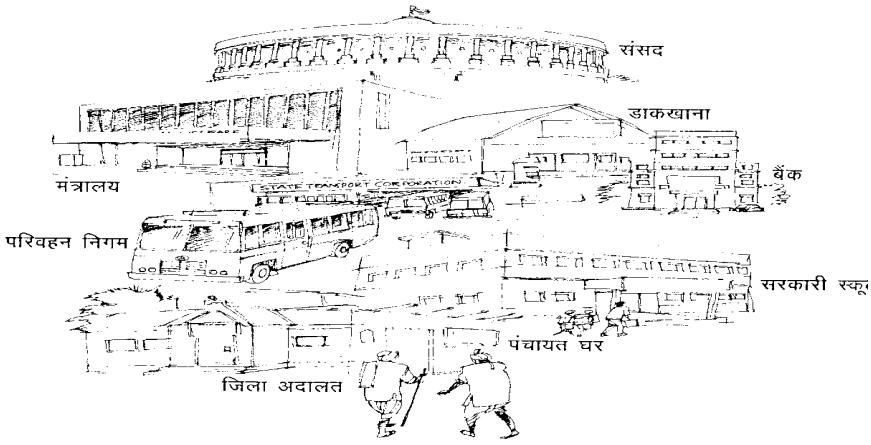

यह सभी राज्य के अंग है।

इनमें से कोई भी संस्था नागरिक को उसके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं कर सकती।

नाबार्ड एक ऐसा बैंक है जो कृषि के लिये कर्ज देता है। यह स्वतंत्र है और किसी सरकारी विभाग का हिस्सा नहीं है। लेकिन इस पर राज्य का नियंत्रण

है। यदि नाबार्ड सिर्फ जमीदारों को कर्ज देने का निर्णय लेता है तो यह छोटे किसानों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ होगा। वह ऐसा नहीं कर सकता।

यदि चुने हुए प्रतिनिधि ही कानून बनाते हैं तो सरकार का कोई अंग नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन कैसे कर सकता है?

जहां तक मौलिक अधिकारों का प्रश्न है 'कानून' के कई मायने हैं।

कानून के निम्नलिखित मतलब हो सकते हैं :

- **अधिनियम** – संसद पूरे देश के लिये कानून बनाती है और राज्य की विधानसभाएं राज्य के लिये कानून बनाती हैं। पहले जनता के प्रतिनिधि ा इन कानूनों के मसौदे पर चर्चा करते हैं। इस मसौदे को विधेयक कहते हैं फिर उनकी आम राय से और पूरी प्रक्रिया से कानून बनता है। इस लिखे हुऐ कानून को अधिनियम कहते हैं ।

जब हम दहेज से संबंधित कानून की बात करते हैं तो हमारा मतलब बाकायदा एक लिखित कानून ***"दहेज निवारण अधिनियम 1961"*** *से होता है। संसद द्वारा तैयार की गई इस प्रस्तक में अनेक बातों का जिक्र है जिसमें से एक के अनुसार दहेज लेना अपराध है। इस पुस्तक में एक के बाद एक और बातें भी लिखी हैं। इनको 'धारा' कहते हैं।*

- **नियम**– विधायिका कानून तो बना देती है पर उनके पास इतना समय नहीं होता कि वह कानून की बारीकियों को भी देखे। इसीलिये सरकारी अफसरों को यह दायित्व दिया जाता है कि वह कानून के तहत नियम बना कर कानून का संचालन करें। यह नियम भी ऐसे होने चाहिये जिससे किसी के मौलिक अधिकारों पर चोट न लगे।

सरकार एक कानून बनाती है जिसके अनुसार 14 साल से कम उम्र के हर बच्चे को स्कूल भेजना जरूरी है। शिक्षा विभाग को कानून को लागू करने के लिये नियम बनाने का अधिकार दिया जाता है। मान लिजिये कि शिक्षा विभाग एक ऐसा नियम बनाता है जिसके अनुसार लड़कों की भर्ती ऐसे स्कूलों में होगी जो पक्की इमारतों में हैं और लड़कियों कि भर्ती तंबू में लगने वाले स्कूलों में होगी तो यह कानून लड़कियों के समानता के अधिकार का उल्लंघन करने के कारण लागू नहीं होगा।

- **आदेश–** देश की सरकार चलाने के दौरान सरकारी अफसर विभिन्न आदेश जारी करते हैं। यह जरूरी है कि यह आदेश नागरिक के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन न करें।

एक जिले का पोस्टमास्टर एक आदेश जारी करता है कि किसी विशेष नगर के झुग्गी– झोपड़ी वाले इलाकों में डाक नहीं बांटी जायेगी। फलस्वरूप इन इलाकों में लोगों को उनकी चिटिठयां नहीं मिलती। पोस्टमास्टर का यह आदेश उस क्षेत्र के निवासियों के अधिकारों का उल्लंघन करता है क्योंकि देश के अन्य नागरिकों के समान वे भी नागरिक हैं और उन्हें भी दूसरों की तरह अधिकार है कि उनके घर में भी उनके पत्र पहुंचाए जाऐं।

यदि संविधान सिर्फ कानून के बारे में ही बात करता है तो सरकार में बैठे शक्तिशाली व्यक्तियों की नाइंसाफी से कौन हमारी रक्षा करेगा ?

नागरिकों के मूलभूत अधिकारों से खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं है। यदि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी ऐसा कोई काम करते हैं जो मौलिक अधिकारों के विरूद्ध है तो उनके गलत कामों को भी चुनौती दी जा सकती है।

आशा के गांव के कुछ लोग गांव की सार्वजनिक जमीन में एक दूसरे से मिला करते थे। एक दिन सरपंच को मालूम हुआ कि ऐसी एक सभा के दौरान उसकी आलोचना की गई है। उसने कहा कि भविष्य में लोगों को इस सार्वजनिक स्थान में मिलने नहीं दिया जायेगा। सभा करना तथा अपनी राय जाहीर करना दोनों नागरिकों के मूलभूत अधिकार हैं। यदि सरपंच लोगों को सभा करने से रोकता है तो वह उन्हें उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित करता है।

रेलवे विभाग का एक वरिष्ठ अधिकारी एक ट्रेन में मेरे चाचा के साथ सफर कर रहा था। रास्ते में उन दोनों में किसी बात पर बहस हो गई। अधिकारी ने गार्ड को हुक्म दिया कि वे मेरे चाचा को ट्रेन से उतार दे। गार्ड ने ऐसा ही किया क्योंकि वह बहुत बड़ा अफसर था और गार्ड ने कहा कि उसका आदेश मानना जरूरी है। क्या सरकारी अफसरों को अधिकार है कि वे आम नागरिक से इस तरह का व्यवहार करें?

नहीं। गार्ड ने आपके चाचा को ट्रेन से उतार कर गलत किया। चाहे कोई बड़े से बड़ा अफसर ही क्यों न हो, वह भी किसी के साथ मनमानी नहीं कर सकता। वह सिर्फ कानून के अनुसार ही चल सकता है।

आपके चाचा रेलवे अधिकारियों से दुर्व्यवहार के विरूद्ध शिकायत कर सकते हैं और यदि वे कोई कार्यवाही नहीं करते तो आपके चाचा उस गार्ड या अफसर के खिलाफ मुकदमा चला सकते हैं।

मौलिक अधिकार राज्य के गलत कामों के खिलाफ नागरिक को सुरक्षा प्रदान करते हैं।

सतनाम का अपने पड़ोसी गुरप्रीत से झगड़ा हुआ और उसने गुरप्रीत के सिर पर गंभीर चोट की। हालांकि गुरप्रीत की जिंदगी खतरे में पड़ गई किन्तु उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ। ऐसा क्यों?

सतनाम और गुरप्रीत दोनों आम नागरिक हैं और उन पर साधारण कानून लागू होता है। गुरप्रीत भारतीय दंड संहिता के तहत सतनाम के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर सकता है। लेकिन यदि पुलिस गुरप्रीत की या किसी भी दूसरे की पिटाई करती है या उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने से मना करती है जिसने गुरप्रीत की जिन्दगी खतरे में डाली है तो पुलिस मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के अपराधी होगी। वह इसलिए कि पुलिस राज्य का एक हिस्सा है और उसका **कर्तव्य** है कि नागरिकों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करें। गुरप्रीत को अपनी सुरक्षा का मौलिक अधिकार है।

पर यदि सरकार हमें अपने मौलिक अधिकारों से वंचित करती है तो हम क्या कर सकते हैं ?

मौलिक अधिकारों का कोई मतलब ही नहीं होगा यदि उनकी रक्षा करने या उनको लागू करने के लिये कोई व्यवस्था न हो। इसीलिये संविधान ने नागरिकों को एक अन्य महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार दिया है। वह यह कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिये देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाने का अधिकार। हम सीधे उच्चत्तम न्यायालय तक जा सकते हैं। यह न्यायालय सरकार को हमारे लिये मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने के लिये आदेश देगा।

क्या अदालतें हमें हमारे मौलिक अधिकारों से वंचित कर सकती हैं?

नहीं। अदालत के आदेश और निर्णय हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंधन नहीं कर सकते क्योंकि अदालत भी कानून को लागू करने का काम ही करती है। यदि नीचे की अदालत कानून को ठीक से लागू नहीं करती तो हम उसके उपर की अदालत में जा सकते हैं।

मौलिक अधिकार कौन-कौन से हैं ?

संविधान द्वारा दिये गये मौलिक अधिकार निम्नलिखित है :

- समानता का अधिकार जो संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है।
- कई प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार जिसका प्रावधान-अनुच्छेद 19 में है।
- जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जिसका प्रावधान अनुच्छेद 20, 21, 22 में है।
- शोषण के खिलाफ अधिकार जो अनुच्छेद 23 और 24 में है।
- किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता का अधिकार जिनका प्रावधान अनुच्छेद 25 और 28 में है।
- शिक्षा और संस्कृति का अधिकार जिनका उल्लेख अनुच्छेद 29 और 30 में है।
- अपने अधिकारों की रक्षा के लिये उच्चत्तम न्यायालय में अपील करने का अधिकार-अनुच्छेद 32।

समता का अधिकार

अनुच्छेद 14. विधि के समक्ष समता – राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा ।

अनुच्छेद 15. धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म-स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध –

(1) राज्य, किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म-स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।

(2) कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म-स्थान या इनमें से किसी के आधार पर –

(क) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, या

(ख) पूर्णतः या भागतः राज्य-निधि से घोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग, के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बधन या शर्त के अधीन नहीं होगा।

(3) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी ।

(4) इस अनुच्छेद ..... की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनूसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।

अनुच्छेद 16. लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता –

(1) राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी।

(2) राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उदभव, जन्म-स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा।

(3) इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के या उसमें के किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती है।

(4) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदो के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी ।

(4 क) इस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में राज्य के अधीन सेवा में पदो के वर्गों या किसी भी वर्ग की उन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए किसी प्रावधान को निर्मित करने से राज्य को कोई भी नहीं रोकेगा जो राज्य की राय में, राज्य के अधीन सेवाओं या नौकरियों में पर्याप्त रूपेण प्रतिनिधित्व नहीं किये जाते हैं।

(5) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधि के प्रर्वतन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो यह उपबंध करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदधारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का ही हो ।

अनुच्छेद 17. अस्पृश्यता का अंत–''अस्पृश्यता''का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्व किया जाता है। ''अस्पृश्यता'' से

उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा ।

अनुच्छेद 18. उपाधियों का अन्त–

(1) राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा।

(2) भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।

(3) कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा।

(4) राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा।

अध्याय 3

समानता का अधिकार

हर समाज में अनेक असमानताएं होती हैं और विभिन्न प्रकार की समस्याएं और बुराईयां भी होती हैं। किसी समय अमेरिका तथा कुछ अन्य देशों में लोगों के खिलाफ सिर्फ उनके रंग और नस्ल के आधार पर भेदभाव होता था। दक्षिण अफ्रीका में मनुष्य के साथ इस तरह का भेदभाव कुछ साल पहले तक होता था तथा काले वर्ण के लोग सार्वजनिक स्थानों जैसे पब्लिक पार्कों,बसों, बाजारों आदि में प्रवेश नहीं पा सकते थे। वे ऐसे विश्वविद्यालयों में पढ़ नहीं सकते थे जहां गोरे लोग पढ़ते थे। ना उन्हें अच्छी नौकरियां मिलती थी। भारत में भी किसी समय तरह-तरह के भेदभाव प्रचलित थे । विभिन्न धर्मों और जातियों के लोगों के बीच तरह-तरह के भेदभाव व असमनताएं थी। साध ाारण किसानों ओर रईस जमीदारों के बीच असमनतायें थी, सित्रियों -पुरूषों के बीच असमानता थी आदि। कई साल पहले लोगों ने इन असमानताओं के विरूद्व अपनी चिंता और असंतोष प्रकट करना शुरू किया था। इस असंतोष और विरोध का कारण था लोगों का यह विश्वास कि सभी मनुष्य समान हैं, चाहे वे कोई भी भाषा बोलते हों या देखने में कैसे भी हों।

रहीम और राकेश राज्य परिवहन की एक बस में यात्रा कर रहे थे जो दुघ टिना ग्रस्त हो गई। दोनों को गंभीर चोटे आयीं। स्कॉट नाम का एक विदेशी पर्यटक भी,जो उसी बस में बैठा था, घायल हुआ। तीनों को चोट लगने से एक सी तकलीफ हुई जैसे किसी भी मनुष्य को होती। उन सभी को परिवहन विभाग से इलाज और मुआवजा प्राप्ति का बराबर अधिकार है।

समानता मनुष्य के अत्यन्त महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है। हमारे देश का संविधान हर व्यक्ति को समानता का अधिकार देता है तथा समाज के सभी वर्गों भय और अन्याय से मुक्त अपनी जिंदगी जीने और अपना विकास करने का अवसर देता है। समानता को मौलिक अधिकार माना गया ताकि लोगों के अधिकारों को सरकार या सरकार के बाहर कोई भी ताकत नुकसान न पहुंचा सकें।

इन सबका मतलब यह है कि नागरिक के अधिकार और दायित्त्व किसी की मनमानी पर निर्भर न होंगे बल्कि हरेक के लिये समानता के सिद्धांत के अनुसार सिर्फ कानून द्वारा निर्धारित किये जाएंगे।

लेकिन हम अपने चारों ओर तरह-तरह की असमानताएं देखते हैं। कुछ लोग बहुत गरीब हैं तो कुछ बड़े रईस। लोगों की जातियां और धर्म अलग-अलग हैं। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे समाज में समानता है?

समानता के अधिकार का यह मतलब नहीं है कि सभी व्यक्ति एक जैसे होंगे। इस अधिकार का सिर्फ इतना मतलब है कि राज्य द्वारा लोगों के खिलाफ भेदभाव नहीं किया जायेगा चाहे वे देखने में कैसे भी हों या उनके नाम, लिंग,धर्म, आर्थिक स्थिति में कोई भी फर्क हो। इस अधिकार का यह भी मतलब है कि समान परिस्थितियों में व्यक्तियों के साथ भेदभाव का व्यवहार नहीं किया जायेगा।

समानता के अधिकार का अर्थ है :

कानून की दृष्टि में समानता

कानून द्वारा समान सुरक्षा

कानून की दृष्टि में समानता

हरी झुग्गी में रहने वाला एक गरीब आदमी है। वह एक दुकान से चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। रामसरन एक बड़े मकान में रहने वाला अफसर है। वह भी एक दुकान से कुछ चुराते हुए पकड़ा जाता है।

हरी और रामसरन दोनों को चोरी के अपराध में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सजा मिलेगी। हरी और रामसरन कानून की दृष्टि में बराबर हैं और कानून दोनों पर बराबरी से लागू होगा हालांकि उनमें से एक पैसे वाला है और बड़े पद पर है और दूसरा गरीब है।

कानून द्वारा बराबर सुरक्षा

सरकार ने एक सड़क बनाने के लिये दस लोगों की जमीन को अधिग्रहण किया। इनमें से तीन लोग अनूसूचित जाति के थे। कानून के अनुसार सरकार

को हर व्यक्ति को मुआवजा देना चाहिये जिसकी जमीन का वह अधिग्रहण करती है।

जमीन के अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित कानून हरेक पर बराबरी से लागू होता है। कानून के अनुसार सरकार मुआवजा अधिग्रहित जमीन की कीमत के अनुसार देगी, न कि उसकी जाति को देखते हुए। इसे कानून द्वारा बराबर संरक्षण कहते हैं।

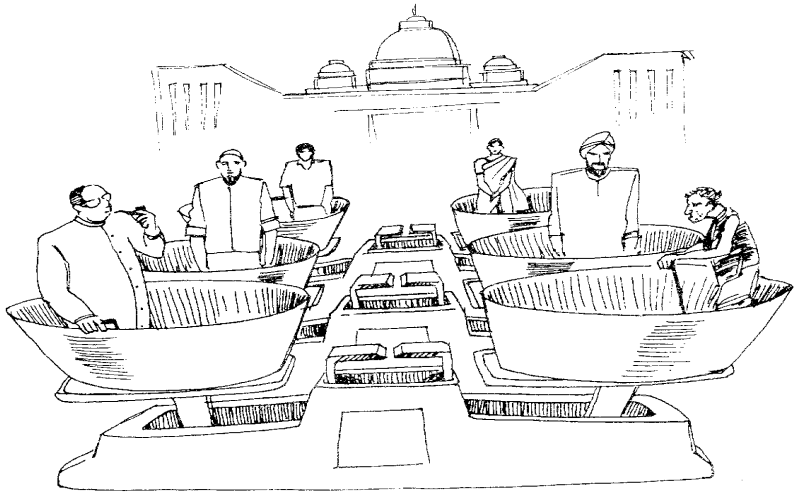

यह सभी कानून की निगाह में बराबर हैं।

हमारे गांव में कांशीराम नामक ब्राहम्ण तथा कन्हैया नामक बनिया की एक-एक एकड़ जमीन अधिग्रहण की गई। कांशीराम की जमीन गांव के बाजार के पास थी और कन्हैया की गांव के दूर छोर पर। ब्राहम्ण को कुछ ज्यादा मुआवजा मिला। यदि दोनों बराबर मुआवजे के हकदार थे तो ऐसा क्यों हुआ?

समानता का मतलब एक जैसा होना नहीं है। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। यदि हर व्यक्ति से एक सा व्यवहार किया जाये जो इसका नतीजा अन्याय हो सकता है। कांशीराम को अधिक मुआवजा इसलिये नहीं मिला कि वह ब्राहम्ण है, बल्कि, इसलिये कि उसकी जमीन की कीमत ज्यादा थी और यह जमीन गांव के जमीन के बाजार के ज्यादा करीब थी। सरकार को वर्गीकरण करने का अधिकार है। हर जमीन की एक सी कीमत नहीं होती।

यदि सरकार को चीजों को विभिन्न वर्गों में बांटने का अधिकार है तो यह लोगों के बीच आसानी से भेदभाव कर सकती है। उस हालत में हम क्या करेंगे?

सरकार को चीजों को वर्गों में बांटने का अधिकार जरूर है किन्तु वर्गीकरण समुचित तथा न्यायसंगत होना चाहिये।

समुचित का मतलब क्या है?

जिसे एक साधारण व्यक्ति सही और न्यायोचित समझे वह समुचित है।

कानून समुचित वर्गीकरण की इजाजत देता है।

रजिया और अरूण ने डाक्टरी करने के लिये इम्तिहान पास कर लिया है। लेकिन फराह और गुरमित सिर्फ मैट्रिक पास है और डाक्टरी नहीं कर सकते। कानून ने डाक्टरी करने के लिये एक योग्यता निर्धारित की है जिसके अनुसार कुछ लोग डाक्टर बन सकते हैं और कुछ लोग नहीं। यह वर्गीकरण समझदारी का है क्योंकि यदि फराह और गुरमीत जैसे लोग भी डाक्टरी करने लगे तो जो अनर्थ होगा उसकी कल्पना आसानी से की जा सकती है।

अनुचित वर्गीकरण किसे कहेंगे?

रजिया को डाक्टरी की प्रैक्टिस करने के अधिकार से इसलिये नहीं वंचित किया जा सकता कि वह एक लड़की है या मुसलमान है। फराह यह नहीं कह सकती कि उसे भी डाक्टरी करने की इजाजत दी जाये क्योंकि रजिया की तरह वह भी एक लड़की है और मुसलमान है। कानून की नजर में सिर्फ लड़की या मुसलमान होने से कोई हक नहीं बनता। अगर कोई कानून यह कहता है कि लड़कियां और मुसलमान डाक्टर नहीं हो सकते तो यह वर्गीकरण अनुचित होगा।

हम यह कैसे तय कर सकते हैं कि कोई वर्गीकरण उचित है या नहीं। यदि किसी वर्गीकरण के कारण किसी को नुकसान होता है तो उसे हमेशा यह लगेगा कि यह वर्गीकरण अनुचित है।

यदि कोई व्यक्ति किसी वर्गीकरण को अनुचित समझता है तो वह अदालत से फैसला मांग सकता है।

अदालत फैसला कैसे करेगी ?

अदालत यह देखेगी कि –

- इस वर्गीकरण का आधार क्या था ?
- क्या इस वर्गीकरण में और कानून के उद्देश्य में कोई उचित संबंध है?

कृपाल की उम्र 27 वर्ष है और एक दिन उसे पुलिस बस में एक आदमी की पॉकेट मारते हुये पकड़ लेती है। दीनू की उम्र सिर्फ 12 वर्ष है और वह भी इसी जुर्म में पकड़ा जाता है। कृपाल पर मुकदमा चलता है और जेल की सजा मिलती है। इसी तरह दीनू का भी जुर्म साबित हो जाता है। लेकिन उसे सिर्फ एक चेतावनी देकर घर भेज दिया जाता है।

दीनू और कृपाल दो अलग-अलग वर्गों में आते हैं। कृपाल व्यस्क है और दीनू एक बच्चा है इसलिये कानून उम्र के आधार पर इनमें फर्क करता है। यह उचित है। एक व्यस्क जानता है कि वह क्या कर रहा है इसलिये उसे जुर्म की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बच्चे अक्सर अपने काम के नतीजे नहीं समझते। इसके अलावा छोटे होने की वजह से उनके सुधरने की संभावना होती है। अगर उन्हें जेल में डाल दिया जाये जो वे औरों की तरह कठोर अपराधी बन सकते हैं। इसलिये कानून उनसे दूसरी तरह का बर्ताव करता है। ताकि उनकी सुरक्षा की जा सके तथा उनमें सुधार लाया जा सके। यह कानून का उद्देश्य है कि वह बच्चों की सुरक्षा करे तथा ऐसे उद्देश्यों को हमारी संविधान में भी मान्यता मिली हुई है। ऐसे कानून का उद्देश्य बच्चों की रक्षा करना है।

एक राज्य की विधान सभा ने एक ऐसा कानून पास किया जिसके अनुसार कोई भी मंत्री किसी भी जुर्म के अपराध में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। एक मंत्री की गाड़ी ने मातादीन को टक्कर मार दी जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। जब मातादीन ने पुलिस में रिपोर्ट की तो पुलिस ने मंत्री को यह कहकर गिरफ्तार करने से मना कर दिया कि कानून के मुताबिक ऐसा नहीं किया जा सकता। मातादीन ने अदालत का दरवाजा खटखटाया क्योंकि उसने यह महसूस किया कि यह कानून लोगों के बीच अनुचित भेदभाव करता है जबकि वे सभी कानून की नजर में बराबर जिम्मेदार हैं।

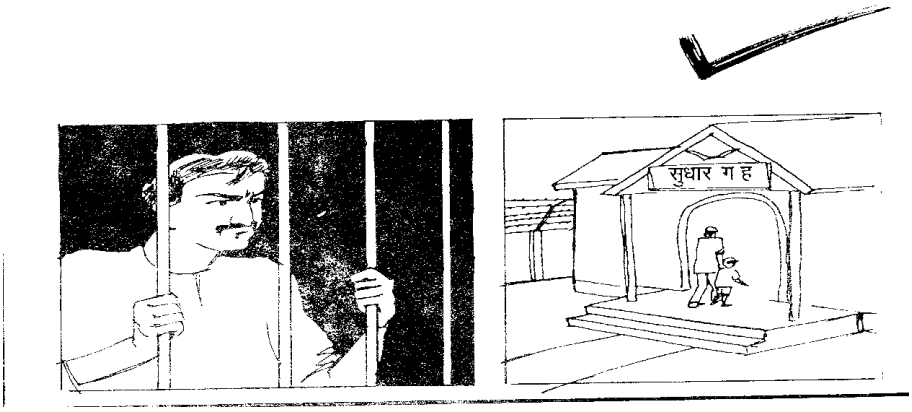

अदालत इस नतीजे पर पहुंची की इस कानून का उददेश्य सिर्फ मंत्री को गौरवाजिब सुरक्षा प्रदान करना था। हमारी शासन प्रणाली में ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे औरों की तरह मंत्री लोग भी अपने गलत कामों के परिणामों की सजा न भुगतें । अदालत ने कानून को अवैध घोषित करते हुये पुलिस को मंत्री की गिरफ्तारी का आदेश दिया ।

मनमानी से सुरक्षा

समानता के अधिकार का मतलब है कोई भी नागरिक सरकार की मनमानी का शिकार नहीं हो सकता ।

मनमानी का मतलब क्या है?

मनमानी का मतलब है कि किसी व्यक्ति से नियम से हटकर व्यवहार करना या कोई गलत काम करने के लिये सत्ता का दुरूपयोग करना । दूसरे शब्दों में इसका मतलब है कुछ अनुचित काम करना ।

अनुचित काम भी एक तरह की मनमानी है।

एक दिन निक्कू और छोटू एक दुकान से चोरी करते हुए पकड़े गए। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके थाने ले गई। वहां पर पुलिस वालों ने निक्कू को तो जाने दिया पर छोटू को जेल में धकेल दिया। जब छोटू ने थानेदार से पूछा कि निक्कू को क्यों छोड़ा गया तो जबाब मिला ''मैं जो चाहूं कर सकता हूं। तुम मुझसे पूछने वाले कौन होते हो ?''

पुलिस ऐसा नहीं कर सकती। उनका यह काम मनमानी है और अनुचित भी है। इससे छोटू का कानून द्वारा समान सुरक्षा के अधिकार का हनन हुआ है।

बे लगाम विवेक का इस्तेमाल करना भी मनमानी है।

ऐसा कोई भी कानून जो बे लगाम शक्ति का उपयोग करने की इजाजत देता हो, मनमाना कानून माना जायेगा। उसे इस बात पर चुनौती दी जा सकती है कि वह समानता के मौलिक अधिकार के खिलाफ है।

एक राज्य सरकार यह कानून बनाती है कि नगरों और गांवों सफाई बनाये रखने के लिये जिला अधिकारी किसी भी व्यक्ति को जिसे वह गंदगी फैलाने के लिये जिम्मेदार समझता है अपनी मर्जी के अनुसार कितने भी दिन के लिये जेल में डाल सकता है।

यह कानून मनमाना है। इसके अंतर्गत सजा पाने वाले को जिला अधिकारी की दया पर छोड़ दिया जाता है और जिला अधिकारी ''गंदगी फैलाने'की कोई भी व्याख्याा करने के लिये स्वतंत्र है। यह कानून जिला अधिकारी को सजा देने का असीमित अधिकार देता है।

बहुत कठोर और बेहिसाब सजाएं भी मनमानी होंगी ।

संजय 5 साल की सजा काट रहा था। एक दिन उसकी जेल के वार्डन से बहस हो गई,

वार्डन ने हुक्म निकाल दिया कि संजय का दिमाग ठीक करने के लिये उसे कुछ दिन बिना खाना-पानी के रखा जाए। कानून के अन्तर्गत वार्डन को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। कैदी को इतनी सख्त सजा देने की कानून इजाजत नहीं देता। सिर्फ वार्डन से बहस करने के कारण संजय के साथ दूसरे कैदियों से भिन्न व्यवहार नहीं किया जा सकता। संजय को गंभीर दुर्व्यवहार करने के लिये सजा दी जा सकती है किन्तु यह सजा भी वाजिब होनी चाहिये। एक राज्य में बोर्ड की परीक्षा में बहुत ज्यादा नकल होती थी। राज्य ने एक कानून बनाया जिसके अनुसार नकल करने वालों को सबके सामने नंगा करके स्कूल के कंपाउंड में घुमाया जायेगा।

यह बहुत कठोर कानून है और इस तरह की अमानवीय सजा समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है। समानता का मतलब है कि हर बात में संतुलन और संयम से काम लिया जाना चाहिये। इसीलिये हमारे देश का कानून फांसी की सजा बहुत ही कम मामलों में देता है।

रंजन एक विदेशी है। वह एक लड़की से छेड़छाड़ करते हुए पकड़ा गया। थानेदार ने हुक्म दिया कि रंजन को दस डंडे मारे जायें और उसके खिलाफ रिपोर्ट बिना दर्ज किये उसे छोड़ दिया जाये। थानेदार से किसी ने कहा कि ऐसी पिटाई गैर कानूनी होगी। थानेदार ने उलट कर कहा कि रंजन एक बंगलादेशी है, भारतीय नागरिक नहीं इसलिए वह उसे कोई भी सजा दे सकता है।

यह समानता के अधिकार के खिलाफ है। थानेदार को किसी को भी कोई भी सजा देने का हक नहीं है। सिर्फ अदालत पूरे मामले की सुनवाई करने के बाद सजा तय कर सकती है। थानेदार यह नहीं कह सकता है कि वह रंजन के साथ किसी दूसरी तरह का व्यवहार कर सकता है क्योंकि वह एक विदेशी

है । इस देश में हर व्यक्ति को, चाहे वह यहां का नागरिक हो या विदेशी हो, कानून के सामने बराबर का अधिकार है। रंजन को भी इस देश के कानून के अनुसार अदालत से न्याय पाने का पूरा हक है ।

नागरिक कौन है?

नागरिक वह व्यक्ति है जो

- भारत में पैदा हुआ है या
- जिसका जन्म विदेश में हुआ है और जिसके पिता भारत के नागरिक हैं या
- शासन की अनुमति से भारत का नागरिक बना है ।

जहां तक इस देश के नागरिकों का संबंध है किसी के खिलाफ उसके धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की कानूनन मनाही है।

दिल्ली सरकार एक बारात घर का निर्माण करती है जहां शादी का समारोह किया जा सकता है। सरकार यह कानून बनाती है कि सिर्फ हिन्दू इस भवन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंथिया अपनी शादी के लिये इस भवन को किराये पर लेना चाहती हे लेकिन यह उसे नहीं दिया जाता।

यह गैर कानूनी है क्योंकि सरकार द्वारा बनाये गये बारात घर के इस्तेमाल से सिंथिया को सिर्फ उसके धर्म के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता।

रेलवे विभाग अनुसूचित जाति के यात्रियों के लिये अलग डिब्बे बनाता है।

रेलवे विभाग ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि सिर्फ जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता।

यदि रेलवे विभाग सबको समान सुविधायें देता है पर इन्हें अलग-अलग जातियों तथा वर्गों के आधार पर ही देता है तो क्या यह सही है ?

न्हीं ! इस तरह का अलगाव भी अपने आप में एक तरह का भेदभाव है। जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता।

रेलवे विभाग अक्सर औरतों के लिये डिब्बे रिजर्व करता है । यह भी एक तरह का भेदभाव है लेकिन इससे औरतों को सुविधा होती है। क्या कोई इसके खिलाफ शिकायत करके ऐसे इन्तजाम को हटवा सकते हैं।

नहीं ! संविधान, औरतों और बच्चों के लिये विशेष प्रावधानों की अनुमति देता है ताकि असामान्य परिस्थितियों में वे अपनी सुरक्षा कर सकें।

हमारे गॉव में सरकार ने कुछ कुएं खुदवाये हैं किन्तु नीची जाति के लोगों से कहा जाता है कि वे दूसरे कुओं से पानी भरें। क्या सरकार इसकी इजाजत देती है?

नहीं। सरकार द्वारा निर्मित कुएं या किसी भी चीज के उपयोग से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। यदि कोई किसी दूसरे को उसकी जाति, लिंग आदि के आधार पर कुओं, तालाबों स्नानघरों, सिनेमा घरों, जलपान गृहों इत्यादि का इस्तेमाल करने से रोकता है तो उसे इस अपराध के लिये दंड दिया जा सकता है।

हमारे शहर में अहमद भाई एक सिनेमा घर के मालिक हैं। वे औरतों को सिनेमा नहीं देखने देते। जब उनसे कहा गया कि ऐसा करना गैर कानूनी है तो उन्होंने जवाब दिया कि कानून उन्हें अपने निजी सिनेमा घर में अपनी मर्जी करने से रोक नहीं सकता।

अहमद भाई सिनेमा घर के मालिक जरूर हैं लेकिन वे किसी को वहां आने से रोक नहीं सकते क्योंकि सिनेमा घर एक सार्वजनिक मनोरंजन की जगह है। वहां जाने से किसी को नहीं रोका जा सकता। अगर अहमद भाई कहते हैं कि वे अपने सिनेमा घर में मुसलमानों के अलावा और किसी को घुसने नहीं देंगे तो वह भी गैर कानूनी है। धर्म के आधार पर किसी के खिलाफ भेदभाव नहीं किया जा सकता।

रामू एक अनुसूचित जाति का है। हालांकि उसके पिता कसाई हैं जैसे की उनके पूर्वज थे, रामू ने शिक्षा प्राप्त करने के बाद रेलवे विभाग में कलर्क की पोस्ट के लिये अर्जी भेजी। उसकी अर्जी को एक बाबू ने यह कहकर फाड़ डाला कि अनूसूचित जाति के लोग उस दफ्तर में काम नहीं कर सकते।

यह गलत है। रामू या किसी के भी खिलाफ उनकी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर रामू उस पोस्ट के लिए योग्य और उपयुक्त है तो उसे रेलवे विभाग को लेना ही पड़ेगा।

कर्नाटक विधुत मंडल ने कनिष्ठ कर्मचारियों की भर्ती के लिये एक नोटिस निकाला। इसके लिये बिजली यांत्रिकी **(**इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग**)** में डिप्लोमा अनिवार्य था। दो सौ उम्मीदवारों ने अर्जी दी । इनमें से **75** लोगों को विभिन्न पदों के लिये चुना गया। उम्मीदवारों में **56** महिलायें भी थीं । इनमें से वांछित योग्यता के बावजूद एक भी महिला को नहीं चुना गया। कुछ महिलाओं ने हाई कोर्ट में इस आधार पर अपील की कि उनके समानता के अधिकार का उल्लंघ न हुआ है। शासन ने अपनी दलील में कहा कि महिलाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया क्योंकि 'शासन ने यह कभी नहीं कहा कि सिर्फ पुरूषों को भर्ती किया जायेगा। हाई कोर्ट ने सरकार से चयन संबंधी कागजात पेश करने को कहा। कोर्ट ने पाया कि कुछ महिलायें चुने गये पुरूष उम्मीदवारों से अधिक योग्यता प्राप्त थी फिर भी उन्हें चुना नहीं गया। जाहिर था कि कुछ उम्मीदवारों के खिलाफ उनके महिला होने के कारण भेदभाव किया गया। ऐसा करना अनुचित था। हाई कोर्ट ने शासन को आदेश दिया कि योग्यता के आधार पर फिर से चुनाव किया जाये।

एक कंपनी ने यह कानून बनाया कि उसकी महिला कर्मचारी पहली बार गर्भवती होते ही रिटायर कर दी जायेगी। नरगिस नाम की एक महिला ने इस नियम को सुप्रीम कोट्ट में पुरूषों की तुलना में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करने के लिये चुनौती दी।

अदालत ने फैसला दिया कि यह कानून महिलाओं के खिलाफ है क्योंकि स्त्रियों का मॉं बनना स्वाभविक है और यह बात उन्हें किसी नौकरी के लिये अयोग्य नहीं बना सकती।

सरकार कुछ वर्ग के लोगों की मदद करने लिये वर्गीकरण का सहारा ले सकती है।

सिंचाई विभाग ने कुछ नौकरियों के लिये विज्ञापन निकाला। जब रमेश ने नौकरी के लिये अर्जी दी तो उसे बताया गया कि दस जगहों में से आठ सबके लिये हैं और दो अनुसूचित जाति और अनूसूचित जनजाति के सदस्यों के लिये सुरक्षित है। इसका क्या मतलब है? सुरक्षित जगहों का मतलब है कि वे दो जगहें कुछ जातियों या जनजातियों के सदस्यों द्वारा ही भरी जा सकती हैं।

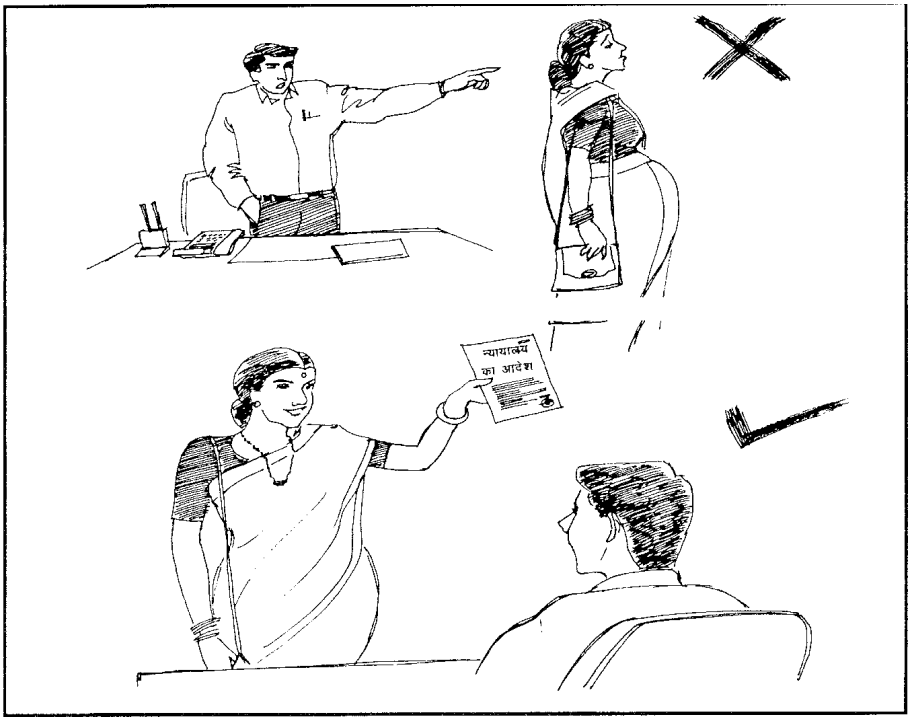

क्या इससे उन लोगों के समानता के अधिकार का हनन नहीं होता जो इन जातियों के नहीं हैं?

नहीं। संविधान अनुसूचित जातियों और कुछ पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान करता है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में कौन लोग होते हैं? और उनके लिये विशेष प्रावधान क्यों किया जाता है?

कुछ जातियों के लोगों को जन्म से ही नीच समझ कर उन्हें दबाया गया। उनसे हमेशा निकृष्टतम कार्य करवाया गया तथा उन्हें लंबे समय तक दुर्व्यवहार और शोषण का शिकार बनाया गया। अपने खिलाफ लोगों की दुर्भावना और पूर्वग्रहों के कारण ये लोग तरक्की नहीं कर सके। ये लोग कुछ खास जातियों के होते हैं, जो कि खास नामों से जाने जाते हैं।

देश के कुछ ऐसे भाग हैं जो मुख्यधारा से दूर और कटे हुये हैं। इसलिये इन भागों में रहने वाले लोगों की अपनी अलग संस्कृति और कायदे कानून हैं। साधारणतः ये लोग शिक्षित भी नहीं हैं। ये आदिवासी कहलाते हें। इन्हें विशेष सुरक्षा की जरूरत है ताकि ये अपनी सभ्यता और संस्कृति बनाये रख सकें तथा शोषण का शिकार न हो सकें। इन दोनों ही वर्गों को विशेष सहायता की जरूरत है जिससे की वह देश के बाकी वर्गों की बराबरी कर सकें।

सरकार ऐसे लोगों की एक सूची बनाती है ताकि उन्हें महाविधालयों, नौकरियों आदि में सुरक्षित स्थान मिल सके। इस सूची को अनुसूची कहते हैं और इसमें जो लोग होतें हैं वे अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्य कहलाते हें। इसके अलावा सरकार सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से कमजोर लोगों की भी सूची बनाती है।

ये सरकारी सूचियां केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों के गजटों में पाई जा सकती हैं।

गजट एक दस्तावेज है जिसमें सरकार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी होती है। यह कलेक्टर के कार्यालय में उपलब्ध रहता है।

सिर्फ सरकारी नौकरियों में ही आरक्षण किया जाता है।

शैक्षिक संस्थानों जैसे विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कालेज इत्यादि में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का अर्थ है कि समाज के कमजोर

वर्गों को दूसरे वर्गों के साथ उपर उठाया जाये जो उनसे आगे है।

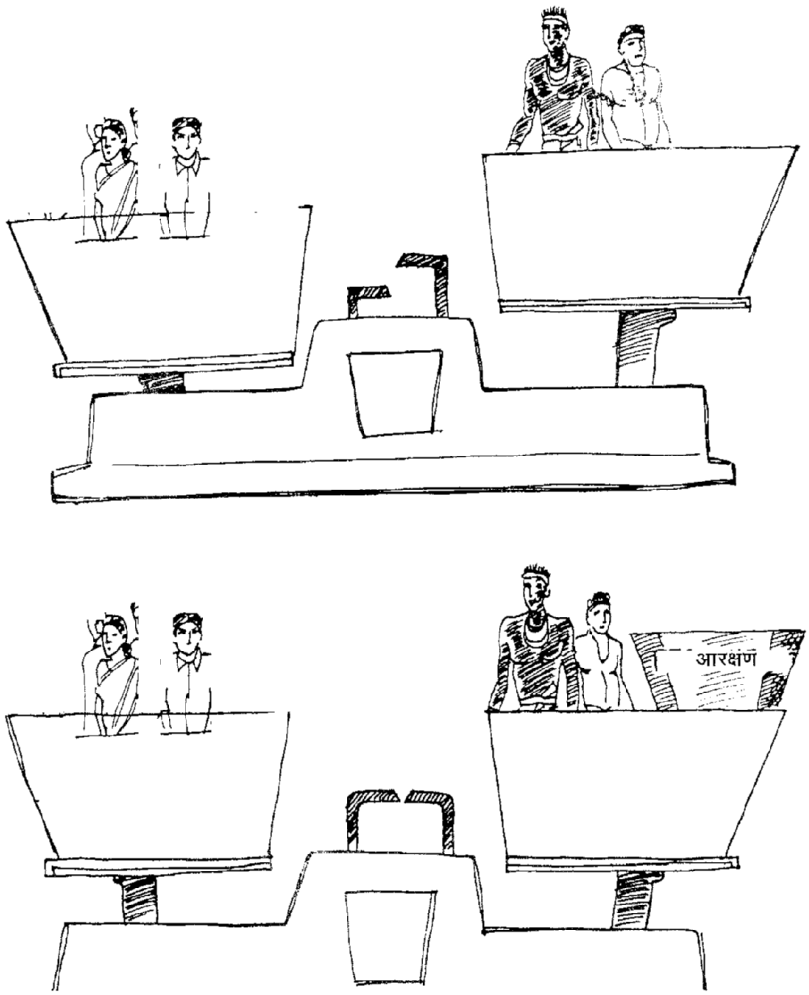

कुछ वर्गों की मदद करने के लिये आरक्षण की व्यवस्था की गयी है।

राजस्थान में सरकारी स्कूलों में पिछड़ी जाति के शिक्षकों की संख्या लगभग नही के बराबर थी। इसलिये सरकार ने पिछड़ी जाति के सदस्यों के लिये उनमें शिक्षकों के कुछ पद आरक्षित किये।

सरकार अपनी नौकरियों में से कुछ स्थान ऐसे वर्ग के लोगों के लिये सुरक्षित कर सकती है जो सरकारी सेवा में बिल्कुल नहीं हैं।

मेरे पिता 1994 में सिंचाई विभाग से सेवा निवृत्त हुये हैं। उन्हें पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित स्थानों में से एक स्थान मिला हुआ था। किन्तु उन्हें नौकरी के दौरान दूसरों की तरह कभी तरक्की नहीं मिली। ऐसा क्यों ?

जब आपके पिता नौकरी में थे तब आरक्षण की सुविधा पदोन्नति के लिये नहीं उपलब्ध थी । बाद में शासन ने यह अनुभव किया कि हालांकि पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षित नौकरी तो मिल जाती है पर वह ज्यादातर लम्बे समय तक एक ही पद पर रहते हैं। अपने शोषण और पिछड़ेपन के कारण वे अन्य कर्मचारियों से मुकाबला नहीं कर पाते। इसके फलस्वरूप अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बहुत कम लोग उच्च पदों तक पहुंचते थे।

इसलिये सन 1995 में संविधान में परिवर्तन करके पदोन्नतियों में भी आरक्षित स्थानों की व्यवस्था की गई ।

कुछ धार्मिक स्थान आरक्षित किये जा सकते हैं।

जगन्नाथ पुरी में एक मंदिर है जिसका यह कानून है कि उसका महंत एक विशिष्ट संप्रदाय का ब्राहमण व्यक्ति ही हो सकता है। मनोज नामक एक हिन्दू उस मंदिर का मंहत बनना चाहता है। इस व्यक्ति ने मंदिर के महंत सबंधी कानून को यह कह कर चुनौती दी कि यह उसके समानता के अधिकार का उल्लंधन करता है।

मनोज को महंत के पद पर नियुक्ति पाने का मौलिक अधिकार नहीं है। धार्मिक सस्थाओं जैसे धर्मशालाओं, मंदिर न्यासों तथा वक्फ बोर्डों इत्यादि के विशेष धार्मिक पदों पर किसी भी विशेष व्यक्ति या विशेष वर्ग के व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार है।

संविधान राज्य को किसी भी व्यक्ति को उपाधि देने से मना करता है ।

दिल्ली शासन घोषणा करता है कि जो भी व्यक्ति मुख्यमंत्री के कल्याण कोष में एक लाख रूपये का अनुदान देगा, उसे शासन 'दरियादिल' की उपाधि से विभूषित करेगा ।

मंडल कमीशन केस

इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया

(ए. आई. आर. 1993 एस. सी 477)

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा कुछ अन्य कमजोर और पिछड़ी जातियां भी हैं। इन सबको सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियां कहा जाता है। संविधान कहता है कि सरकार उनके लिए खास प्रावधान बना सकती है। सरकार ने एक आयोग नियुक्त कर उसे यह काम सौंपा कि पता लगायें कि उपर्युक्त पिछड़ी जातियों की सूची में किन्हें शामिल किया जा सकता है और उनकी उन्नति के लिये क्या कदम उठाये जा सकते हैं। इस पर वह अपनी रिपोर्ट दें। इस आयोग के अध्यक्ष श्री बी. पी. मंडल थे इसलिये इसे मंडल आयोग कहते हैं और 1990 में इसके द्वारा दी गई रिपोर्ट को मंडल कमीशन रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है।

मंडल कमीशन ने सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से कमजोर जातियों की सूची बनायी। इसमें कुछ अन्य पिछड़ी जातियों की भी सूची बनाई और इन दोनों सूचियों में शामिल जातियों को किन आधारों पर पिछड़ा माना गया यह स्पष्ट किया।

इस कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि केवल जाति के आधार पर पिछड़ापन तय करना गलत नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि सरकारी नौकरियों में 50 प्रतिशत से ज्यादा स्थान आरक्षित नहीं किये जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह भी आदेश दिया कि पिछड़े वर्गों के उन सदस्यों की निशाख्त की जाये जो समृद्ध हैं तथा जिन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं है।

संविधान सरकार को कोई उपाधि देने से मनाही करता है क्योंकि उपाधियां कुछ लोगों को गलत ढंग से उंचा स्तर देंगी। यह समानता के अधिकार के विरूद्ध होगा।

उपाधियां किन्हें कहते हैं ?

उपाधियां उन्हें कहते हैं जो कि किसी व्यक्ति के नाम के पहले जोड़ी जाती हैं जैसेः रायबहादुर, खान बहादुर, दीवान वगैरह।

जब अंग्रेजों का राज्य था तब शमशेर के चाचा को रायबहादुर की पदवी दी गई थी। आज की सरकार पदवी क्यों नहीं दे सकती ?

अंग्रेज उन लोगों को पदवी देते थे जो उनका समर्थन करते थे। उनके पहले मुगल बादशाह या अन्य राज महाराजा भी ऐसा करते थे। इन पदवियों का इस्तेमाल समाज में भेदभाव पैदा करने के लिये किया जाता था और इनके माध्यम से जो लोग शासक का समर्थन करते थे उन्हें बाकी लोगों से श्रेष्ठ घोषित किया जाता था।

लेकिन शासन विभिन्न क्षेत्रों में विशेष उपलब्धियां प्राप्त करने वालों को विशिष्ट सम्मान दे सकता है ताकि इससे अन्य लोग भी अपने-अपने क्षेत्रों में श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित हों।

कृष्णा एक सामसजिक कार्यकर्ता है। उसने गॉव के अनेक लोगों को सस्ती पारम्परिक विधियों से पानी का संरक्षण करना सिखाया है। इसके फलस्वरूप तमाम लोग बढ़िया फसल उगाकर अपनी आमदनी बढ़ाने में सफल हुए। शासन ने कृष्णा को इस अच्छे कार्य के लिये पदमश्री से सम्मानित किया।

धर्मवीर सेना में सेकेंड लैफ्टीनेंट है। उसे शत्रु के खिलाफ वीरता से युद्ध करने के लिये महावीर चक्र प्रदान किया गया।

प्रधानमंत्री को दरभंगा विश्वविधालय द्वारा डाक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया।

लोग अपने नाम के साथ अपने व्यवसायों या विशिष्ट क्षेत्रों में प्राप्त डिग्रियां लिख सकते हैं जिससे उनके क्षेत्र में उन्हें प्राप्त उपलब्धियों के बारे में लोग जान सकें कि वे क्या हैं जैसे डाक्टर इत्यादि । इसी तरह सेना के लोग अपने नाम के पहले अपना रैंक या ओहदा लिख सकते हें ।

किन्तु भारत रत्न, पदम विभूषण, पदमश्री जैसे सम्मानों को उपाधि के रूप में नाम के साथ नहीं जोड़ा जा सकता।

स्वातंत्र्य–अधिकार

vuqPNsn 19. okd&Lokra´; vkfn fo"k;d dqN vf/kdkjksa dk laj{k.k&(1) lHkh ukxfjdksa dks &

(d) okd&Lokra=; vkSj vfHkO;fDr& Lokra=; dk]

([k) vkSj 'kkafriwoZd vkSj fujk;q/k lEesyu dk]

(x) laxe ;k la?k cukus dk]

(?k) Hkkjr ds jkT;{ks= esa loZ= vck/k lapj.k dk]

(M++) Hkjr ds jkT;{ks= ds fdlh Hkkx esa fuokl djus vkSj cl tkus dk(vkSj)

(p) (***)

(N) dksbZ o`fRr] miftfodk] O;kikj ;k dkjksckj djus dk]vf/kdkj gksxk A

(2) [kaM (1) ds mi[kaM (d) dh dksbZ ckr mDr mi[kaM }kjk fn;s x, vf/kdkj ds iz;ksx ij Hkkjr dh izHkqrk vkSj v[kaMrk] jkT; dh lqj{kk] fons'kh jkT;ksa ds lkFk eS=hiw.kZ laEcU/kksa] yksd O;oLFkk] f'k'Vkpkj ;k lnkpkj ds fgrksa esa vFkok U;k;ky;&voeku] eugkuh ;k vijk/k &m}hiu ds laca/k esa ;qfDr;qDr fucZ/ku tgka rd dksbZ tgka rd dksabZ fo/keku fof/k vf/kjksfir djrh gS ogka rd mlds ioZru ij izHkko ugha Mysxh ;k oSls fucZ/ku vf/kjksfir djus okyh dksbZ fof/k cukus ls jkT; dks fuokfjr ugha djsxh A

(3) mDr [kaM ds mi[kaM ([k) dh dksbZ ckr mDr mi[kaM } kjk fn, x, vf/kdkj ds iz;ksx ij Hkkjr dh izHkqrk vkSj v[kaMrk ;k

yksd O;oLFkk ds fgrks esa ;qfDr;qDr fucZza/ku tgka rd dksbZ fo/keku fof/k vf/kjksfir djrh gS ogkaa rd mlds izorZu ij izHkko ugha Mkysxh ;k oSls fucZa/ku vf/kjksfir djus okyh dksbZ fof/k cukus ls jkT; dks fuokfjr ugha djsxh A

(4) mDr [kaM ds mi[kaM (x) dh dksbZ ckr mDr उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था या सदाचार के हितों में युक्तियुक्त निर्बंधन जहां तक कोई विधमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी ।

(5) उक्त खंड के उपखंड (घ) और उपखंड (ड़) की कोई बात उक्त उपखंडों द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए युक्तियुक्त निर्बंधन जहां तक कोई विधमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी।

(6) उक्त खंड के उपखंड (छ) dh dksbZ ckr mDr mi[kaM }kjk fn, x, vf/kdkj ds iz;ksx ij lk/kkj.k turk ds fgrksa esa ;qfDr;qDr fucZa/ku tgka rd dksbZ fo/keku fof/k vf/kjksfir djrh gS ogka rd mlds izorZu ij izHkko ugha Mkysxh ;k oSls fucZa/ku vf/kjksfir djus okyh dksbZ fof/k cukus ls jkT; dks fuokfjr ugha djsxh vkSj fof'k"Vr;k mDr mi[kaM dh dksbZ ckr&

(i) कोई वृत्ति, उपजिविका, व्यापार या काराबार करने के लिए आवश्यक वृत्तिक या तकनीकी अर्हताओं से, या

(ii) राज्य द्वारा या राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण esa fdlh fuxe }kjk dksbZ O;kikj] dkjksckj]m/kksx ;k lsok] ukxfjdksa dk iw.kZr% ;k Hkkxr% viotZu djds ;k vU;Fkk] pyk, tkus ls]

जहां तक कोई विधमान विधि संबंध रखती है वहां तक उसके प्रर्वतन पर प्रभाव नहीं डालेगी या इस प्रकार संबंध रखने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी ।

अध्याय 4

स्वतंत्रता का अधिकार

आपको कैसा लगेगा यदिः

- आपको कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं करने दिया जाता या अखबार और पत्रिकाएं नहीं पढ़ने दी जाती?

- आपको किसी बारात में शामिल होने या क्रिकेट मैच नहीं देखने दिया जाता ?

- आपको एक सांस्कृतिक संस्था का सदस्य नहीं बनने दिया जाता या अपने काम करने की जगह पर श्रमिक संगठन नहीं बनाने दिया जाता?

- आपको दूसरे शहर में रहने वाले रिश्तेदारों के घर नहीं जाने दिया जाता?

- आपको अपने जन्म स्थान के अलावा और कहीं भी काम करने या रहने नहीं दिया जाता?

- आपको सरकार जो कहे उसके अलावा और कोई काम नहीं करने दिया जाता?

यदि ये सब बातें होने लगें तो आप अपनी जिदंगी अच्छी तरह जी नहीं सकते। आपकी मानवीय इच्छाओं पर हमेशा कोई न कोई पाबंदी लगी रहेगी। जैसे लोगों से बात करने और मिलने की इच्छा, अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने या आदान-प्रदान करने की इच्छा, नई बातें करने या नई जगहों का तजुर्बा प्राप्त करने की इच्छा। संपूर्ण और संतुष्ट मनुष्य बनने के लिये हमें बंधनों से मुक्त वातावरण की जरूरत होती है। इसलिये संविधान हर नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार देता है। स्वतंत्रता कई प्रकार की हो सकती है।

संविधान द्वारा दी गई स्वतंत्रताएं निम्नलिखित हैं :

- बोलने की और अभिवयक्ति की स्वतंत्रता।
- शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्रित होने की स्वतंत्रता।
- संघ और मंडल बनाने की स्वतंत्रता।
- पूरे भारत में कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता।
- भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने की स्वतंत्रता।
- कोई भी व्यवसाय या व्यापार धंधे की स्वतंत्रता।

क्या इसका मतलब यह है कि भारत का नागरिक स्त्री या पुरूष जो चाहे कर सकते हैं? यदि ऐसा है तो फिर लोगों को तमाम तरह के काम करने से रोकने वाले कानून क्यों हैं?

बिल्कुल बिना शर्त आजादी संभव नहीं है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जिसमें प्रत्येक को वही अधिकार प्राप्त है जो दूसरों को भी हैं। हमें अपने अधिकारों का इस तरह इस्तेमाल करना चाहिये जिससे दूसरों के अधिकारों का उल्लंधन न हो। इसीलिये जितने भी अधिकार हैं उनका प्रयोग सीमा के अन्दर रहकर ही किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर यदि मैं अपना हाथ घुमाना चाहती हूं तो मुझे इस तरह नहीं घुमाना चाहिये कि दुसरे को चोट लगे। यदि मुझे हाथ घुमाने का अधिकार है तो दूसरों को इससे अपनी रक्षा करने का भी अधिकार है। इसलिये कानून नागरिकों के अधिकारों पर जरूरी पाबंदियां लगाता है। किन्तु ये पाबंदियां मुनासिब किस्म की होनी चाहिये, न कि ऐसी जिनसे नागरिक के अधिकारों का हनन हो। संविधान में नागरिक के अधिकारों पर कानून द्वारा पाबंदी लगाने के बारे में स्पष्ट नियम है।

भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

माया भजन गाती है और उसे अक्सर धार्मिक सम्मेलनों में गाने के लिये आमत्रित किया जाता है। गाना भी अभिव्यक्ति का एक रूप है। माया को भजन गाने से नहीं रोका जा सकता। **यह उसका मौलिक अधिकार है।**

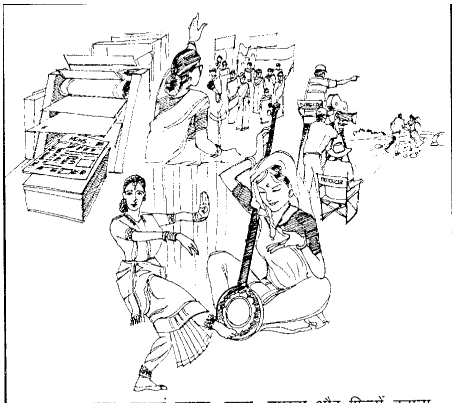

अखबार छापना, सभाएं करना, गाना, नाचना और फिल्में बनाना – ये सभी भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का भाग है।

एक रात माया एक मोहल्ले में भजन गा रही थी। संयोजकों ने बहुत तेज लाउडस्पीकर लगाया था जिसकी आवाज से वहां के निवासियों को परेशानी हो रही थी। इसकी जब पुलिस में शिकायत की गई तो पुलिस ने संयोजकों और माया से कहा कि भजन का गायन बिना लाउडस्पीकर के किया जाये। माया ने तथा संयोजकों ने उत्तर दिया कि यह रोक उनके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है।

माया को या किसी को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार **सीमाओं के अंदर** ही प्राप्त है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को देश की सुरक्षा, अन्य देशों से अपने देश के संबधों, कानून और व्यवस्था, मर्यादा और नैतिकता, न्यायालय के सम्मान के लिये या दूसरों के बारे में बुरी बातें कहना, उनकी इज्जत बिगाड़ना या किसी को अपराध करने के लिये प्रेरित करना, इत्यादि कारणों से सीमित किया जा सकता है।

भप्पी एक कवि है जो अक्सर टेलीविजन पर अपनी कविताओं का पाठ करता है। एक बार उसने एक ऐसी कविता लिखी जो एक पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा के खिलाफ थी। सरकार ने उसे टेलीविजन पर इसे पढ़ने से रोक दिया।

यह पांबदी जायज थी क्योंकि इस कविता के पाठ से **उस देश के साथ जो हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध है वह खराब हो सकते थे।**

सागर एक प्रकाशक है जो एक समाचार पत्र निकालता है। वह नगर निगम की गतिविधियों पर एक नियमित स्तंभ लिखता है। जब नगर निगम ने अपना काम ठीक से नहीं किया तो सागर ने उसकी आलोचना की। स्थानीय 'शासन

अधिकारियों ने अदालत में याचिका दायर की कि सागर के अखबारको बंद करा दिया जाये। सागर ने अदालत में अर्जी देकर विरोध किया। अदालत ने याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा सागर को अपना अखबार प्रकाशित करने का मूलभूत अधिकार है और उसे अपनी मर्जी के मुताबिक लिखने से रोका नहीं जा सकता।

हमारे प्रजातंत्र में लोगों को उनके चारों तरफ क्या हो रहा है यह जानने का और इसके बारे में अपनी राय जाहिर करने का अधिकार है। लोगों के सूचना के अधिकार और अपनी राय जाहिर करने के अधिकार का एक महत्वपूर्ण माध्यम अखबार है। सरकार किसी अखबार की कितनी प्रतियां छापी जायें इस बारे में कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकती, न यह तय कर सकती है कि कोई अखबार कितना कागज खर्च करे। ऐसे करने का मतलब अखबार तथा उसके पाठकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर अनुचित पाबंदी लगाना है। सागर के अखबार का एक रिपोर्टर कारपोरेशन के दफ्तर गया और लोक निर्माण कार्यों पर किये गये खर्च के बारे में जानकारी मांगी। उससे यह कहा गया कि यह जानकारी गुप्त है और हर किसी को नहीं दी जा सकती। यह सही नहीं है।

सार्वजनिक संस्थओं के कामकाज के बारे में सभी नागरिकों को सूचनाप्राप्त करने का अधिकार है। ऐसी सूचना प्राप्त न होने पर लोग इन संस्थाओं के बारे में अपनी राय कायम या जाहिर नहीं कर सकेगें। इसीलिये सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी या नागरिकों के निजी जीवन संबधी जानकारी को छोड़ कर, बाकी सभी जानकारी नागरिकों को दी जानी चाहिये।

सन 1996 में सागर ने कुछ उग्रवादी संगठनों की हिमायत करते हुये अपने लेखों में लोगें से यह कहना शुरू किया कि यदि सरकार इन संगठनों की मांगें मंजूर नहीं करती है तो सार्वजनिक भवनों को बम से उड़ा देना चाहिये और प्रधानमंत्री की हत्या कर दी जानी चाहिये। सरकार ने इस अखबार के प्रेस पर छापा मारने और वहां की सामग्री जब्त करने का हुक्म दिया। सागर ने कहा कि यह उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है।

कानून इस तरह की अभिव्यक्ति की अनुमति नहीं देता। सागर के इस अधिकार पर शासन संविधान के अंतर्गत पाबंदी लगा सकता है। देश की सुरक्षा के लिये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जा सकता है। फिर

भी सरकार सागर के खिलाफ कानून के अंतर्गत ही कार्यवाही कर सकती है। कानून हमेशा उचित प्रक्रिया के अनुसार ही लागू किया जा सकता है।

भारतीय दंड संहिता 1860 में अपराधों से संबंधी कानून दिये गये हैं। यह संहिता कुछ कामों को अपराध की श्रोणी में रखते हुये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित पाबंदियां लगाती हैं। ये पाबंदियां जरूरी मानी गई हैं।

रमिया महिलाओं की एक संस्था की सदस्य है। महिलाओं के साथ हिंसा के विषय पर एक जनसभा में भाषण देते हुए रमिया ने कहा कि सभी औरतों को जोर से चिल्ला चिल्ला कर निकल रही बसों पर पथराव करना चाहिये। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

क्या रमिया कह सकती है कि उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अनुचित पाबंदी लगाई गई है? बिल्कुल नहीं । दरअसल सार्वजनिक शान्ति और व्यवस्था के लिये इस अधिकार पर वाजिब पाबंदी लगाई जा सकती है। लेखन या भाषण द्वारा भी किसी को कानून तोड़ने के लिये उकसाया जा रहा हो तब भी इस अधिकार पर पाबंदी लगाई जा सकती है ।

फिल्में बनाना, चित्रकारी करना, नाचना, किताबें लिखना, गाना, ये सभी काम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अन्तर्गत आते हैं।

गुलशन पिछले 6 वर्षों से फिल्में बना रहा है। यह उसका मूलभूत अधिकार है।

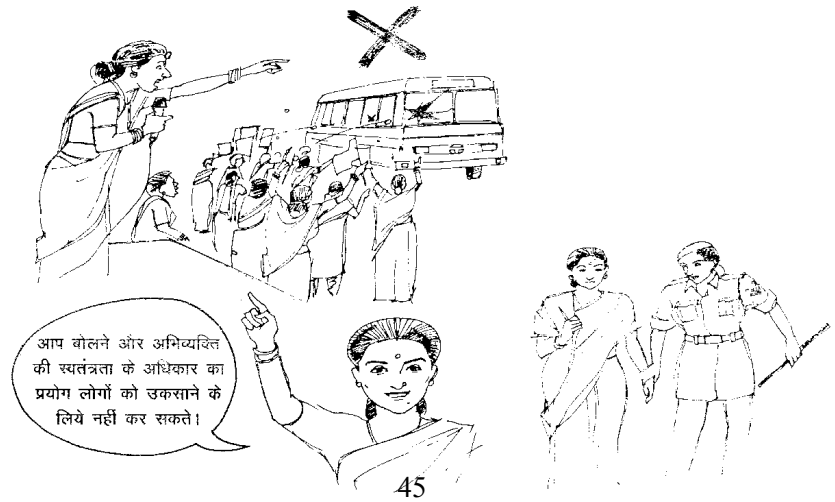

उसने कुछ फिल्में बनायीं जिनमें अश्लील और हिंसक दृश्य थे तथा महिलाओं को बुरे तरीके से दिखया गया था । फिल्मों के सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म के कुछ दृश्यों को काट दिया। ऐसा करने की इजाजत है क्योंकि सार्वजनिक नैतिकता तथा मर्यादा बनाये रखने के लिये नागरिक की इस स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जा सकता है।

सेंसर बोर्ड या कोई और कैसे तय कर सकता है कि सार्वजनिक नैतिकता क्या है? क्योंकि, क्या सही है और क्या गलत , इस बारे में हर आदमी का अपना नजरिया है।

सार्वजनिक नैतिकता के बारे में लोगों की राय समय-समय पर बदलती रहती है। 20 साल पहले जो बातें अनैतिक समझी जाती थीं, हो सकता है आज उन्हें वैसा न समझा जाये। यह तय करने के लिये कि सार्वजनिक नैतिकता के खिलाफ क्या है तथा किस चीज पर पाबंदी लगाई जा सकती है, यह देखना जरूरी है कि इस समय कौन सी बातें सामाजिक मूल्यों के खिलाफ हैं। फिर भी इस तरह की पाबंदी सीमित होनी चाहिये अन्यथा हमारे समाज की विविधता को नुकसान पहॅचेगा।

प्रदीप और मुरली में एक जमीन को लेकर झगड़ा हुआ। मुरली गांव में प्रदीप के खिलाफ अफवाहें उड़ाने लगा। वह कहने लगा कि प्रदीप चोर है और उसने पंचायत का पैंसा चुराया है।

इस तरह की बातें कानून में मानहानी कहलाती हैं और इसके लिये सजा दी सकती है। मुरली यह नहीं कह सकता कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंर्तगत उसे किसी के बारे में कुछ भी कहने का अधिकार है।

सिंधु कुछ जमीन को लेकर अदालत में मुकदमा लड़ रही थी। मुकदमा हार जाने के बाद वह लोगों से कहने लगी कि अदालत का फैसला सही नहीं है क्योंकि जज ने उसकी विरोधी पार्टी से पैंसा खाया है।

इस तरह अदालत के सम्बन्ध में झूठी अफवाहें फैलाना, अदालत के या जज के बारे में गलत भाषा का प्रयोग करना एक गंभीर अपराध है। इससे

अदालतों की प्रतिष्ठा कम होती है और अदालतों से जनता का विश्वास उठ सकता है इसे अदालत की अवमानना कहते हैं । इसके लिये सजा दी जा सकती है। इस तरह की बातों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं कहा जा सकता।

सभा करने की स्वतंत्रता

तमाम जनता गणतंत्र दिवस तथा अन्य अवसरों पर होने वाली परेड देखने जाती है। इसी तरह लोग मंदिरों और मस्जिदों में भी प्रार्थना करने के लिये इकटठा होते हैं। यह उनका शान्तिपूर्वक सभा करने का मौलिक अधिकार है।

सफदर और उसके दल के लोग सार्वजनिक पार्कों में साम्प्रदायिक सदभाव तथा अन्य विषयों पर नाटक करते हैं। उन्हें ऐसे नाटक करने के लिये इकटठा होने का अधिकार है।

नागपुर के आस-पास के कुछ किसान अपने राज्य की विधान सभा सदस्यों का ध्याान अपनी कुछ शिकायतों की और दिलाना चाहते थे। उन्होंने एक खास जगह पर इकटठा होकर वहां से 'शान्तिपूर्वक विधानसभा की ओर मार्च करने का निश्चय किया । उन्हें विधानसभा के भवन की ओर शान्तिपूर्वक जाने का पूरा अधिकार था। लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही उन पर गोली चलाना शुरू कर दिया।

यह जनता के शान्तिपूर्वक तथा बिना हथियारों के सभा करने के अधिकार का अत्यन्त निदंनीय उल्लंघन था। जुलूस को रोकने के लिये पुलिस को न सिर्फ सजा दी जा सकती है बल्कि गोलीबारी में घायल लोगों को मुआवजा भी देना पड़ सकता है।

एक फैक्टरी के कुछ कामगार बोनस के लिये आंदोलन कर रहे थे और फैक्टरी के बाहर सभा कर रहे थे । लम्बे समय से उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है इसलिए उन्होंने तय किया कि वे फैक्टरी के मालिक पर हथियारों से हमला करेंगे। पुलिस को उनके इस इरादे का पता चल गया। जिससे उन्होंने फैक्टरी के बाहर कामगारों की सभा रोक दी।

पुलिस को ऐसा करने का हक है क्योंकि सभा करने के अधिकार का मतलब बिना हथियारों के तथा शान्तिपूर्वक सभा करना ही होता है।

कुछ लोगों के मन में यह भावना पैदा हुई कि जिस क्षेत्र में वे रहते हें उसे स्वतंत्र देश घोषित कर दिया जाये। इसके लिये उन्होंने एक बहुत बड़ी जनसभा करके सरकारी दफ्तरों पर कब्जा करने की योजना बनाई । यह पता चलते ही उस क्षेत्र के मजिस्ट्रेट ने वहां लोगों द्वारा सभा करने पर पाबंदी लगा दी।

मजिस्ट्रेट ने ठीक किया क्योंकि सभा करने वालों का इरादा अपनी देश की सरकार को उखाड़ कर देश के टुकड़े करना था। इस तरह की कार्यवाहियों पर रोक लगााना सभा करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है ।

बिहारी चुनाव में खड़ा हुआ था। वह गांव में एक चुनाव सभा करना चाहता था। उसने जनता से कहा कि वे रघु के फार्म में इकटठा हों। लेकिन रघु अपने फार्म पर सभा नहीं होने देना चाहता था। उसने पुलिस की मदद मांगी । बिहारी तथा उसके साथियों ने कहा कि उन्हें रोक कर, पुलिस सभा करने के उनके मौलिक अधिकार का हनन कर रही है।

किसी को किसी दूसरे की निजी जमीन पर जबरदस्ती कुछ भी करने का अधिकार नहीं है। इस अधिकार का प्रयोग सार्वजनिक स्थानों में ही किया जा सकता है।

मानिक ने अपनी लड़की की शादी के अवसर पर तमाम लोगों को आमंत्रित किया। उसने सड़क के बीचोंबीच शामियाना लगाकर अपने अतिथियों को खिलाया पिलाया जिससे उस सड़क से गुजरने वाले लोगों को बड़ी परेशानी हुई। कुछ लोगों द्वारा शिकायत करने पर मानिक को सड़क से शामियाना हटाने का हुक्म दिया गया । मानिक ने कहा कि उसके अतिथि शान्तिपूर्वक व्यवहार कर रहे हैं और एक सार्वजनिक स्थान पर लोगों को ऐसा करने का हक है।

मानिक और उसके मेहमानों को सड़क पर इकटठा हो कर रास्ता रोकने और आम जनता के लिये परेशानी पैदा करने का हक नहीं है।

संगठन बनाने का अधिकार

एक मोहल्ले के युवाओं ने एक क्लब बनाया जहां पढ़ने के शौकिन नियमित रूप से मिलकर साहित्य पर चर्चा तथा पुस्तकों का आदान-प्रदान करते हैं । ऐसे संगठन बनाना उनका मौलिक अधिकार है।

कुछ मुस्लिम विद्वानों ने भारत में इस्लाम के इतिहास का अध्ययन करने के लिये एक संस्था का गठन किया । उन्हें ऐसी संस्था का गठन करने का मूलभूत अधिकार है ।

एक नगर के रिक्शाचालकों को पता चला कि सरकार रिक्शा चलाने पर प्रतिबंध लगाने वाली है। उन्होंने अपने रोजगार को बचाने के लिये एक संगठन बनाया ताकि वे सरकार के सामने अपना पक्ष रख सकें । उन्हें ऐसा करने का मौलिक अधिकार है।

नागरिक अपनी इच्छानुसार सांस्कृतिक और स्पोर्टस क्लब, पुस्तकालय, राजनितिक पर्टी, सामाजिक संगठन, व्यापार संघ इत्यादि बना सकते हैं।

एक फैक्टरी के कामगारों ने अपने कल्याण के लिये तथा अपने मालिकों से अपनी मांगे पूरी करवाने के लिये एक संघ बनाने का निश्चय किया। चूंकि एक संघ कामगारों के अधिकारों के लिये ज्यादा अच्छी तरह संघर्ष कर सकता है उन्होंने संघ को पंजीकृत कराने के लिये आवेदन किया। मालिक के दबाव में आकर सरकारी अधिकारियों ने संघ को पंजीकृत करने से मना कर दिया हालांकि आवेदन सभी शर्तों को पूरी करता था।

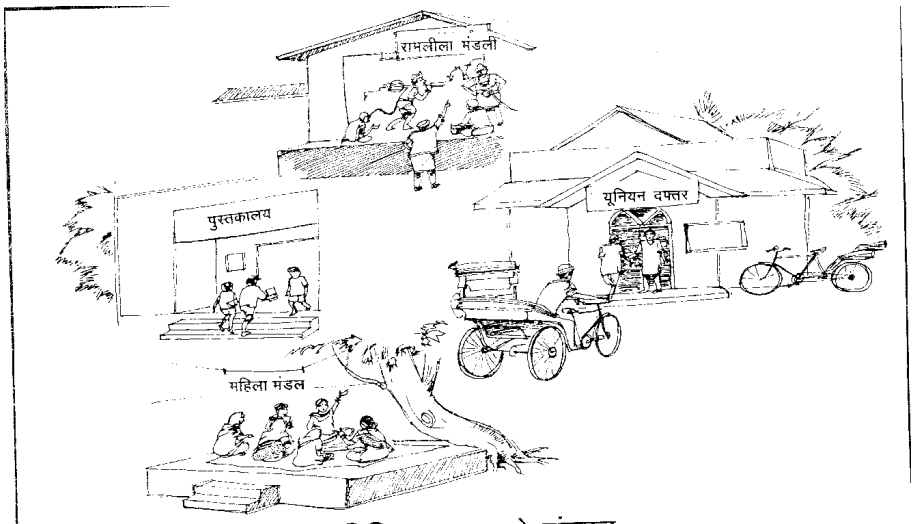

विभिन्न प्रकार के संगठन

यह कामगारों के संघ बनाने के मौलिक अधिकारों का हनन है। इसके खिलाफ कामगार हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट अधिकारियों को आदेश देगी कि संघ को पंजीकृत किया जाये।

कुछ लोग चाहते थे कि उनका राज्य हमारे भारत से टूटकर एक ठूसरे देश का हिस्सा बन जाये। उन्होंने मुक्तिसिंह नामक एक संगठन बनाया। संगठन के सदस्य नियमित रूप से बैठक करते थे तथा बहारी देश के साथ अपने देश पर आक्रमण करने तथा राज्य पर कब्जा करने की योजना बनाते थे। शासन ने इस संगठन को गैर-कानूनी घोषित कर इसके अनेक सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया।

शासन को ऐसा करने का अधिकार है क्योंकि इस संगठन की कार्यवाही देश के लिये खतरा पैदा करती थी ।

कुछ युवाओं ने भारत में रहने वाले या आने वाले विदेशियों पर हमला करने के लिये संगठन बनाया इन युवाओं को शिकायत थी कि विदेशी उनके देश की संस्कृति को भ्रष्ट कर रहे हैं। इस संगठन पर शासन ने प्रतिबंध लगा दिया।

ऐसे संगठन पर प्रतिबंध लगाने का शासन को अधिकार है क्योंकि इससे सार्वजनिक शान्ति भंग होती है। इसके अलावा समाज में नफरत और संकीर्णता फैलाना अनैतिक है और कानून इसकी इजाजत नहीं देता।

घूमने फिरने की स्वतंत्रता

सुरजीत और उसकी पत्नी नीतू छुटिटयों में भरत भ्रमण पर जाना चाहते थे। कलेक्टर ने सुरजीत और नीतू से कहा कि उन्हें हर उस जगह का नाम उसे बताना पड़ेगा , जहां वह जाना चाहते हैं। इसके बाद कलेक्टर तय करेगा कि सुरजीत और नीतू वहां जा सकते हैं या नहीं। कलेक्टर ने कहा कि इस संबंध में शासकीय आदेश हैं।

यह सुरजीत और नीतू के घुमने-फिरने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।। अगर इस तरह का कोई नियम बनता है तो कोर्ट उसे खत्म कर देगा।

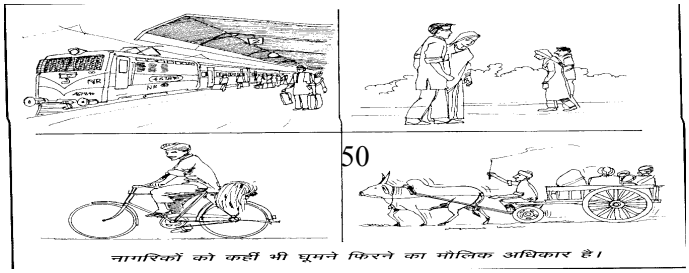

नागरिकों को कहीं भी घूमने फिरने का मौलिक अधिकार है।

गोवा समुद्र तट पर बसा एक खूबसूरत पर्यटक स्थल है। यहां बहुत लोग घ ूमने जाते हैं । इसलिये शासन ने यात्रियों पर एक भारी टैक्स लगा दिया।

इस तरह का टैक्स नहीं लगाया जा सकता क्योंकि इससे गोवा घूमने जाने वाले सैलानियों के घूमने फिरने के अधिकार को नुकसान पहुँचेगा।

शिमला एक पर्वतीय पर्यटक स्थल है जहां तमाम सैलानी जाते हैं। फलस्वरूप वहां का वातावरण गंदा हो गया। वहां के शासन ने सैलानियों पर एक मामूली प्रवेश शुल्क लगाने का निश्चय किया ताकि इससे प्राप्त आय से वहां सफाई की जा सके।

यह शुल्क जायज है क्योंकि इसका फायदा जनता को मिलेगा। किन्तु यदि शुल्क की रकम बहुत ज्यादा होती तो यह गैर-कानूनी होता। इससे लोगों के शिमला जाने के अधिकार को नुकसान पहुंचता।

देवा अपने गाँव का एक कुख्यात अपराधी है। चुनाव के समय वह अपने क्षेत्र में दंगा फसाद करवाता था। मजिस्ट्रेट ने आर्डर पास किया कि जब तक चुनाव पूरे नहीं हो जाते उसे अपने क्षेत्र में घुसने नहीं दिया जायेगा। इस आदेश को निष्कासन आदेश कहते हैं। देवा की गतिविधियों पर प्रतिबंध उचित है क्योंकि वह जनहित में आवश्यक है। फिर भी इस तरह के प्रतिबंध बहुत कम लगाये जाते हैं क्योंकि इन्हें लगाने के लिये बहुत जरूरी कारण होने चाहिये।

रहने और बसने की स्वतंत्रता

राज्जी और उसके परिवार ने हरियाणा छोड़ कर राजस्थान में एकमकान खरीद कर वहां रहने का फैसला किया।

भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का मौलिक अधिकार सभी नागरिकों को प्राप्त है।

राज्जी एक खास गॉव में जमीन खरीदना चाहती थी लेकिन उसे मालूम हुआ कि 'शासन के एक आदेशानुसार वह उस गॉव में जमीन नहीं खरीद सकती। क्या शासन ऐसा कानून बना सकता है?

जिस गाँव में राज्जी जमीन खरीदना चाहती थी वहां की आबादी में अधिकांश गरीब आदिवासी हैं जिनकार पेशा खेती है। देश के अनेक भागों से लोग यहां आकर बहुत सस्ती कीमत में जमीन खरीद लेते थे जिससे यहां के आदिवासी गरीब और बेघर हो गये । इसलिये शासन को यह अधिकार प्राप्त है कि वह आदिवासियों की रोजी-राटी के रक्षा के लिये उनके गाँव की जमीन की खरीद पर रोक लगाये।

कोई भी पेशा, धंधा या व्यापार करने की स्वतंत्रता

पाकीजा ने इंजीनियर की डिग्री प्राप्त की है। उसे इंजीनियर का पेशा अपनाने का मौलिक अधिकार है।

अमृत ने जूते बनाने का अपना पुश्तैनी पेशा सीखा किन्तु इसे अपनाने के बजाय वह शहर में जाकर ड्राइवरी करने लगा। अपनी इच्छानुसार पेशा अपनाना उसका मूलभूत अधिकार है। यदि अमृत के पास ड्राइवर का लाइसेंस नहीं है तो वह ड्राइवरी नहीं कर सकता। लाईसेंस प्राप्त करने की शर्त वाजिब है।

आपको अपने पंसद का काम करने का अधिकर है।

लक्ष्मी ने डाक्टरी की पढ़ाई शुरू की किन्तु पूरी नहीं की। इसके बावजूद वह डाक्टर का पेशा करने लगी। किसी के शिकायत करने पर उसे रोक दिया गया। लक्ष्मी ने दावा किया कि वह लोगों का इलाज करने में सक्षम है और उसे डाक्टरी करने से रोकना, उसके पेशा करने के अधिकार का हनन है।

सरकार कुछ पेशों के लिये प्रशिक्षण तथा योग्यता प्राप्त करने की शर्त लगा सकती है।

ऐसा करना सही है। बिना डिग्री के किसी को डाक्टरी करने नहीं दी जा सकती।

कान्ता एक तस्कर है। पुलिस ने उसकी तस्करी बंद कर दी और उसके खिलाफ केस दायर कर दिया।

तस्करी गैर कानूनी है। कान्ता यह नहीं कह सकती कि उसे तस्करी करने का मौलिक अधिकार है। कुछ काम जैसे तस्करी, बिना लाइसेंस के शराब बनाना, आदि नहीं किये जा सकते, क्योंकि ये जनहति में नहीं हैं।

दिल्ली के एक सिनेमा घर में आग लग गई, जिसमें तमाम लोग जल मरे क्योंकि उसमें आग के विरूद्ध आवश्यक सुरक्षा उपायों का इंतजाम नहीं था। प्रशासन ने शहर के सभी सिनेमा घरों को तब तक के लिये बंद कर दिया जब तक वे आग के खिलाफ जरूरी सुरक्षा उपायों का प्रबंध नहीं करते। इस आदेश के फलस्वरूप सिनेमा घर के मालिकों की उतने दिनों की आमदनी मारी गई जितने दिन सिनेमा घर बन्द रहे। इनके मालिक यह नहीं कह सकते कि प्रशासन धंधा करने के उनके अधिकार का उल्लंधन कर रहा है क्योंकि इस तरह का प्रतिबंध जनहित में है।

वेंकट अपनी फैक्टरी में स्टील के बर्तन बनाता है। कानून के अनुसार वेंकट को अपने मजदूरों को न्यूनतम वेतन देना चाहिये। वेंकट का यह कहना है कि इससे उसकी आमदनी कम होती है और व्यापार-धंधा करने के उसके अधिकार का उल्लंघन होता है।

अपने कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देने की शर्त हर मालिक के ऊपर लगाना बिलकुल उचित है क्योंकि यह जनहित में है।

जगदीश नोट छापने के लिये एक प्रेस लगाना चाहता था। सरकार ने उसे रोक दिया क्योंकि यह काम सिर्फ सरकार कर सकती है।

सरकार कोई भी व्यापार धंधा कर सकती है तथा किसी को भी वह व्यापार-धंधा करने से रोक सकती है, यदि यह जनहित में है।

जब भी किसी नागरिक के स्वतंत्रता के अधिकार पर रोक लगायी जाती है, राज्य को यह साबित करना पड़ता है कि यह रोक उचित है । उचित क्या है इसका फैसला किस स्थिति में कैसी रोक लगायी गई इस पर विचार करने के बाद ही किया जा सकता है।

प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण

अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण-(1) कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्धदोष नहीं ठहराया जायेगा, जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय, जो अपराध के रूप में आरोपित है, किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शास्ति का

भागी नहीं होगा जो उस अपराध के लिए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी।

(2) किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगाा।

(3) किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरूद्व साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण– किसी व्यक्ति को, उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

अनुच्छेद 21 अ. शिक्षा का अधिकार : मौलिक अधिकार

संविधान के अनुच्छेद 21 अ के तहत अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वह 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें।

अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण

(1) किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है,ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरूद्व नहीं रखा जाएगा या अपनी रूचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा।

(2) प्रत्येक व्यक्ति को,जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरूद्व रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से चौबीस घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरूद्व नहीं रखा जाएगा।

अध्याय 5

जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार

सरकार को देश का काम-काज चलाने के लिये अनेक अधिकार दिये गये हैं । क्या सरकार किसी भी आदमी की जान ले सकती है या उसके आने-जाने की स्वतंत्रता पर पतिबंध लगा सकती है?

नहीं। हर व्यकित को अपने जीवन की सुरक्षा का अधिकार है। यदि मनुष्य की अपनी जिंदगी को ही खतरा हो तो अधिकारों का कोई मतलब नहीं। इसी तरह हर नागरिक को अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिये।। यानि, राज्य को उसके रोजमर्रा के कामकाज पर बिना वजह रोक लगाने का अधिकार नहीं है। यह हमारे संविधान द्वारा दिये गये अत्यन्त महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है।

जीवन के अधिकार का मतलब है:

जिन्दा रहने का अधिकार यानि उन सब चीजों की प्राप्ति का अधिकार जिनके बगैर कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, जैसे हवा,पानी, भोजन तथा रहने की जगह। कोई भी चीज जो व्यक्ति की जान को खतरे में डालती है वह जीवन जीने के मौलिक अधिकार के खिलाफ है।

किन्तु जीवन जीने का मतलब एक पशु की तरह जीवित रहना भर नहीं है। उन सब चीजों को पाने का भी अधिकार है जो हमारे **जीवन को अच्छा और सम्मानपूर्ण बनाते हैं,** जैसे स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण, पर्याप्त जीविका का साधन, इंसाफ तथा इंसानियत।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब है अपने कामकाज पर **कोई अनुचित रोक** का नहीं होना। हर व्यकित को वह सब कुछ करने का अधिकार होना चाहिये जो सुखी और संतुष्ट जीवन के लिये आवश्यक है।

संविधान यह अधिकार भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर हर व्यक्ति को देता है चाहे वह इस देश का नागरिक हो या विदेशी हो।

रामकुमार सरकार की नीतियों की आलोचना करता है। सरकार पुलिस को आदेश देती है कि उसे गिरफ्तार कर ले और यदि वह प्रतिरोध करता है तो उसे गोली मार दे ।

यह आदेश रामकुमार के जीने के अधिकार का हनन करता है। सरकार अपनी नीतियों की आलोचना करने के कारण रामकुमार को गोली मारने का आदेश नहीं दे सकती।

यदि रामकुमार पर डकैती या कोई अन्य अपराध का आरोप लगाया जाता है तो क्या सरकार उसे गोली से उड़ाने का आदेश दे सकती है?

नहीं। सरकार को किसी भी कारण से किसी भी व्यक्ति की जान लेने का अधिकार नहीं है। सरकार सिर्फ कानून के अनुसार ही कदम उठा सकती है।

मान लिजिये ऐसा कानून बना दिया जाता है जिसके अंतर्गत पुलिस जिन्हें अपराधी समझती है उन्हें गोली से उड़ा सकती है तो क्या पुलिस को लोगों को गोली से उड़ाने का हक मिल जायेगा?

संविधान कहता है कि राज्य विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही व्यक्ति को उसकी जान या स्वतंत्रता से वंचित कर सकता है और ऐसा कानून अपने आप में सही और उचित होना चाहिए। ऐसा कानून जो पुलिस को असीमित अधिकार देता है,गलत है और संविधान के विरूद्ध है। इससे पुलिस को कानूनी प्रक्रिया अपनाये बगैर लोगों की जान लेने का अधिकार मिल जाता है। ऐसे कानून को अदालत में चुनौती दी जा सकती है।

कठोर तथा निरंकुश कानून भी व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों के विरूद्ध है तथा इस कारण अवैध है।

यदि एक ऐसा कानून बना दिया जाये जिसके अनुसार सभी लंबे बाल वाले लोगों को जेल की हवा खाने पड़े तो यह कानून अन्यायपूर्ण होगा और अदालत इसे खारिज कर देगी।

कानून का अस्तित्व अपराध से पहले होना चाहिये। यदि आज कोई काम किया गया है तो कल उसके विरूद्ध कानून बनाकर अपराधी को सजा नहीं दी जा सकती।

मलेरिया की रोकथाम करने के लिये सरकार हर घर का सर्वेक्षण करती है। वह उन लोगों की सूची बनाती है जिन्होंने अपने घर के पास गंदा पानी इकटठा हो जाने दिया है जिससे मच्छर पैदा होने लगे हैं। दो महीने बाद, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए संसद कानून बनाती है कि ऐसे सभी लोगों को तीन महीने की सजा तथा जुर्माना हो सकता है जिन्होंने गंदा पानी इकटठा होने दिया है। क्या उपर्युक्त सूची के लोग भी इस कानून की लपेट में आ जाते हैं जबकि सूची कानून पास होने के पहले बनी थी?

नहीं। इस सूची के लोगों को सजा नहीं दी जा सकती क्योंकि जिस समय उन्होंने गंदा पानी इकटठा होने दिया उस समय ऐसे करना अपराध नहीं था। यह कानून व्यक्ति के उस मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है जो उसे ऐसे काम के लिये सजा से छूट देता है जो कानून बनने के पहले अपराध नहीं था। कानून बनाने के बाद पानी जमा होने देने वालों की दुबारा सूची बनानी होगी।

शकील ने सन् 1983 में एक चोरी की। उस समय उसे इस चोरी के लिये दो साल की सजा हो सकती थी। तब उस पर केस चल रहा था तब एक कानून पास किया गया जिसके अनुसार चोरी के लिये कम से कम तीन साल की सजा होनी चाहिये। शकील को प्राप्त मूलभूत अधिकार के अनुसार उसे अपराध ा करने के समय तय सजा की मियाद से ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती।

किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिये दो बार सजा नहीं दी जा सकती।

मनोज पर हत्या का आरोप था जो साबित नहीं हो सका। मृत व्यक्ति के रिश्तेदारों ने मनोज के खिलाफ दोबारा रिपोर्ट की और पुलिस ने दोबारा उसके

खिलाफ जुर्म के कुछ और सबूत इकट्ठे किये और फिर हत्या का जुर्म कायम किया।

मनोज को उसी जुर्म के लिये दोबारा जेल नहीं भेजा जा सकता जिसके लिये वह एक बार सजा काट चुका है। इससे उसके मूलभूत अधिकार का हनन होगा जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को एक गुनाह के लिये दो बार सजा नहीं दी जा सकती। यदि मनोज एक और हत्या करता है तो उसे सजा दी जा सकती है।

सरकार किसी भी व्यकित की जान नहीं ले सकती।

एक बार हमारे गांव में पुलिस आई और दो लड़कों को उनके घर से पकड़ कर अपनी जीप में ले गयी। पुलिस का कहना था कि ये लड़के आंतकवादी गतिविधियों में शामिल थे। दूसरे दिन एक खेत में दोनों की लाशें मिली। पुलिस ने उन्हें गोली मार दी थी। ऐसी घटनाएं अन्य जगहों में भी होती हैं। जनता कहती है जो भी जुर्म करता है उसका यही अंत होता है। तो क्या उसका यही अंत होना चाहिए? क्या पुलिस ऐसा कर सकती है?

पुलिस कभी-कभी लोगों को पीटती है। यहां तक की जान से भी मार देती है लेतिन यह सब गैर-कानूनी है। दरअसल कानून इस तरह के व्यवहार के बहुत खिलाफ है। जब भी ऐसी घटनाएं अदालत के सामने आती हैं इनके लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दी जाती है। जिन लोगों के मूलभूत अधिकारों का हनन होता है, अदालत उन्हें वित्तीय मुआवजा भी दिलवाती है।

पुलिस कभी-कभी छोटे-मोटे अपराधियों को थाने ले जाकर उनकी पिटाई करती है और फिर उन्हें जाने देती है। क्या पुलिस को ऐसा करने का अधिकार है?

हमारे देश के कानून के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकती जब तक उसके खिलाफ कोई जुर्म साबित न हो जाये। सिर्फ अदालत ही किसी के अपराधी होने का फैसला दे सकती है।

याद रखिये

कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं यह पुलिस नहीं तय कर सकती। पुलिस किसी को सजा भी नहीं दे सकती। मामूली से मामूली जुर्म के लिये भी अभियुक्त को अदालत में पेश करना जरूरी होता है। यह कानून संविधान में लिखा है और पुलिस को इसके अनुसार ही काम करना होगा।

यदि कोई व्यक्ति अपराधी सिद्व होता है तो क्या अदालत उसे जान से मारने का हुक्म दे सकती है?

अदालतों को भी सिर्फ कानून के मुताबिक फैसला देने का अधिकार है। अदालतें कानून द्वारा निश्चित की गई सजा से बड़ी सजा नहीं दे सकती । अदालत किसी व्यक्ति को मौत की सजा उसी जुर्म के लिये दे सकती है जिसके लिये कानून में मौत की सजा लिखी है।

क्या शासन किसी भी अपराध के लिये फांसी की सजा देने का कानून बना सकता है ?

नहीं। हमारे संविधान के अनुसार शासन द्वारा सिर्फ न्यायोचित कानून ही बनाये जा सकते हैं।

नीलबती बेहरा बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा

(ए. आई. आर. 1993 एस. सी. 1960)

बाइस वर्षीय सुमन बेहरा नामक एक युवक को पुलिस का एक अफसर उसके घर से यह कहकर ले गया कि एक चोरी के सिलसिले में उससे पूछताछ करनी है। अगले दिन नजदीक की एक रेलवे लाइन के पास सुमन की क्षतविक्षत लाश पाई गई। पुलिस ने कहा

कि सुमन पुलिस की हिरासत से फरार होते हुए ट्रेन के नीचे आकर मर गया। नीलबती बेहरा ने पुलिस को अपने बेटे की हत्या का जिम्मदार ठहराते हुये सुप्रीम कोर्ट को एक चिटठी लिखी।उसने अपने बेटे की मौत के लिये मुआवजे की भी दरखास्त की। सुप्रीम कोर्ट ने उसके पत्र को रिटयाचिका मानकार सच्चाई का पता लगाने के लिये एक आयोग नियुक्त किया। आयोग ने जांच के बाद रिपोर्ट दी कि पुलिस ने ही वह हत्या की थी। नीलबती बेहरा को उसके बेटे की हत्या के लिये मुआवजा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि यदि राज्य किसी के मूलभूत अधिकारों का हनन करता है तो उसे उसके परिवार को मुआवजा देना पड़ेगा। राज्य बिना कानून की प्रक्रिया अपनाये किसी व्यकित की जान नहीं ले सकता। और यदि राज्य ऐसा गुनाह करता है तो गुनहगार अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करना भर काफी नहीं है । वित्तीय मुआवजा देना भी जरूरी है ताकि मूलभूत अधिकारों का अस्तित्व सिर्फ हवा में न रहे बल्कि वे एक हकीकत हों।

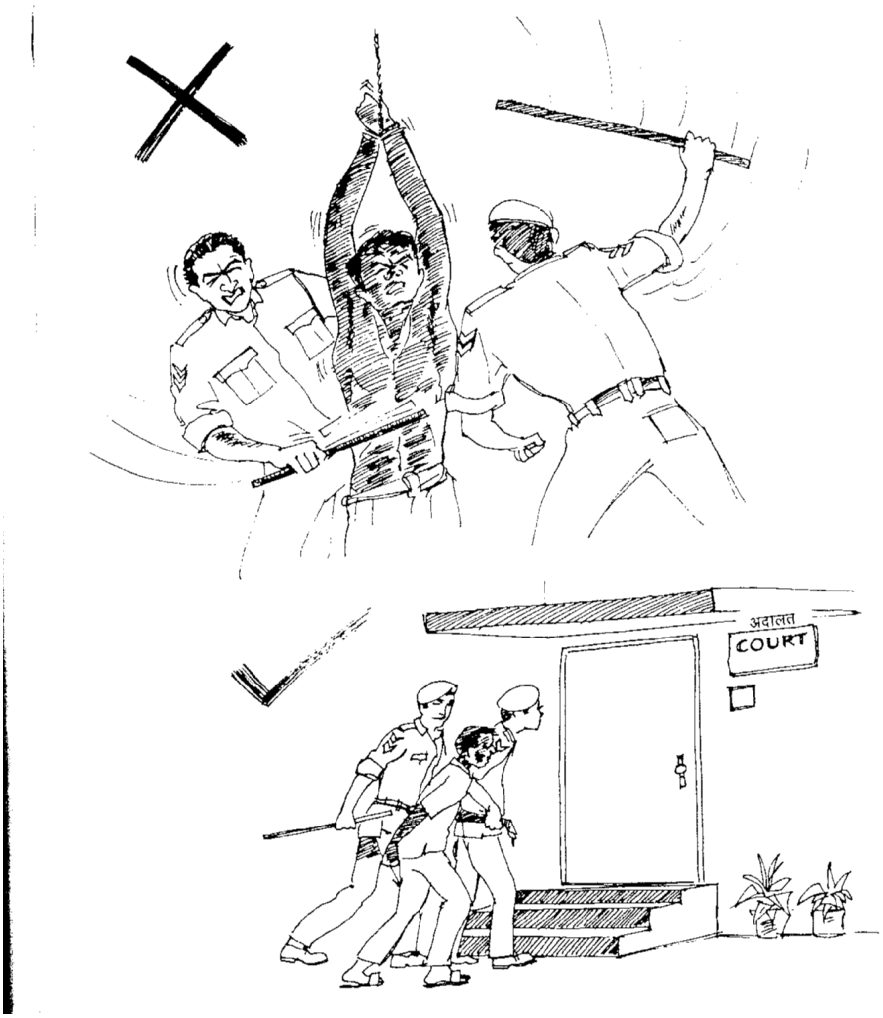

जो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते। अगर शासन किसी मामूली जुर्म के लिये सख्त सजा वाला कानून बनाता है तो यह अन्याय होगा। अदालत ऐसे कानून को अवैध करार दे सकती है। अदालत कह सकती है कि

यह कानून कठोर है और व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन करता है।

हरी कुछ दिन पहले ही विदेश में तीन साल काम करने के बाद वापस आया है। उसने बताया कि वहां मामूली चोरी तक के लिये हाथ काटने की सजा दी जाती है। क्या ऐसा कानून हमारे देश में बन सकता है?

कुछ देशों में ऐसे कठोर कानून होते हैं। किन्तु हमारा संविधान मनुष्य के जीवन और उसके सम्मान को सर्वोच्च महत्व देता है। इसीलिये हमारे देश में बेरहम और बगैर किसी कारण के सजा नहीं दी जा सकती।

पुलिस दीनू के गांव में एक मामले की छानबीन कर रही थी। पुलिस चाहती थी कि जब भी वह पूछताछ करना चाहे उसे गवाह मिलने चाहिये। इसलिये पुलिस किसी भी समय, दिन हो या रात,दीनू के घर जाने लगी। वह दीनू के काम की जगह भी पुहुँच जाती और उसे अपने साथ चलने को कहती। हालांकि पुलिस अपना काम कर रही थी किन्तु ऐसे तरीके से अक्सर जनता को यातना मिलती है।

पुलिस को अपना काम संविधान तथा कानून के मुताबिक करना होगा। पुलिस लोगों के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती। इस तरह लोगों के घर में जबरदस्ती घुसना और उनको तंग करना स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है। पुलिस बार-बार लोगों के घर नहीं जा सकती जब तक किसी वरिष्ठ अधिकारी ने उसे ऐसा करने का आदेश न दिया हो। उस हालत में भी वह गलत वक्त पर या बार-बार किसी के घर में नहीं घुस सकती। अगर पुलिस दीनू को इस तरह परेशान कर रही है तो वह इसके खिलाफ मजिस्ट्रेट से शिकायत कर सकता है या हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकता है।

यदि एक व्यक्ति किसी जुर्म में अभियुक्त है और पुलिस उसे गिरफ्तार करके बंद कर देती है तो आप कैसे कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है?

यदि कोई व्यक्ति हिरासत में या जेल में है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह कानून की सुरक्षा से वंचित है। इसलिए कानून में कुछ नियम दिये गये हैं जिनका पालन करना पुलिस के लिये जरूरी है। जैसेः

- किसी को बिना कारण बताये गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।

पुलिस गणेश के घर आयी और उसे पकड़ कर ले गई। कारण बताने के बजाय सिर्फ उससे यह कहा कि एक केस में उसकी जरूरत है।

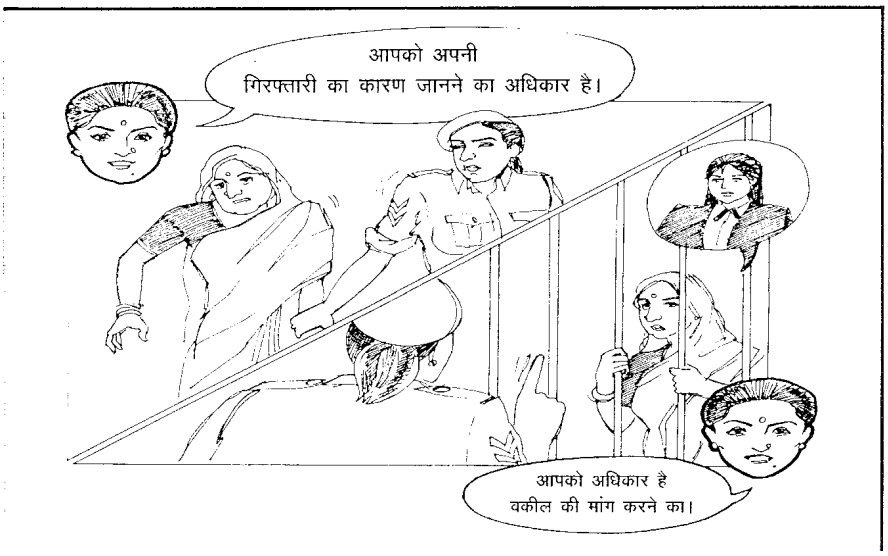

पुलिस को ऐसा करने का हक नहीं हैं। उन्हें किसी को गिरफ्तार करने के पहले उसे गिरफ्तारी की वजह जल्द से जल्द बताना जरूरी है।

जुम्मन जिस दुकान में काम करता था वहां चोरी करते पकड़ा गया। उसके मालिक ने पुलिस को बुलाया और पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर थाने ले गई।

जुम्मन को इस तरह हथकड़ी लगाना गैर-कानूनी है क्योंकि यह उसके स्वतंत्रता के अधिकार तथा आत्मसम्मान का हनन है। साथ-साथ पुलिस गिरफ्तारी के समय और बाद में भी किसी भी व्यक्ति के साथ मारपीट नहीं कर सकती। अगर पुलिस ऐसा करती है तो वह उस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होगा। अगर पुलिस दुर्व्यवहार करे तो मजिस्ट्रेट से शिकायत करनी चाहिए।

यदि हथकड़ी लगाना कानून के खिलाफ है तो क्या पुलिस कभी भी हथकड़ी नहीं पहना सकती ?

हथकड़ी लगाना बिल्कुल कानून के खिलाफ हो ऐसा नहीं है। पुलिस ऐसे खतरनाक अपराधियों को हथकड़ी लगा सकती है जिनके भाग जाने का डर हो।

- किसी भी व्यक्ति को मुकदमें में अपनी पैरवी करने के लिये वकील करने का अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति इतना गरीब है कि वकील नहीं कर सकता तो सरकार उसे मुफ्त वकील की सहायता देगी।

- किसी भी व्यक्ति को खुद अपने खिलाफ गवाही देने के लिये मजबूर नहीं किया जा सकता।'श्याम लाल को एक डकैती के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। उसने जुर्म से इनकार किया। थानेदार ने उससे पुलिस स्टेशन में कहा कि यदि वह अपना अपराध कबूल नहीं करता है तो उसके पंद्रह साल के लड़के को पुलिस यातना देगी। डर के मारे श्याम लाल ने डकैती का जुर्म कबूल किया। पुलिस के दबाव में आकर उसने ऐसा किया। उसे यह बात मजिस्ट्रेट को बतानी चाहिये। फिर उसका पुलिस को दिया बयान उसके

खिलाफ अपराध सिद्व करने में इस्तेमाल नहीं होगा। किसी अभियुक्त द्वारा पुलिस की हिरासत में अपनी स्वेच्छा से दिये गये बयान का भी इस्तेमाल उसे दोषी साबित करने के लिये नहीं किया जा सकता। यह इसलिये कि पुलिस की हिरासत अपने आप में एक तरह का दबाव है। यदि पुलिस ने किसी से अपराध करने का ब्यान लिखवाया है और उस पर उस आदमी के दस्तखत करवाये हैं तो भी वह ब्यान उसके खिलाफ कुछ साबित करने के काम नहीं आ सकता। लेकिन पहले उसको यह बात मजिस्ट्रेट को कहनी होगी।

- किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है।

पुलिस ने माइकल को गिरफ्तार करके चार दिन थाने में बंद रखा। इसके बाद उन्होंने उसे अदालत में पेश किया और जज ने उसके खिलाफ मुकदमा शुरू किया। क्या पुलिस किसी व्यक्ति को जितने दिन चाहे उतने दिन थाने में बंद रख सकती है?

नहीं। यदि पुलिस किसी को गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे से ज्यादा थाने में बंद रखती है तो यह उसके मूलभूत अधिकारों का हनन होगा। गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना बिल्कुल जरूरी है। इस 24 घंटे में वह समय शामिल नहीं है जो पुलिस थाने से मजिस्ट्रेट के पास जाने में लगता है।

कभी-कभी पुलिस यह कहती है कि वह गिरफ्तार किए हुए व्यकित को मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर नहीं पेश कर सकती क्योंकि रविवार है या कोई अन्य छुटटी है। इस वजह से अदालत बंद है।

यह सही नहीं है। कोई न कोई मजिस्ट्रेट छुटटी वाले दिन भी कोर्ट में बैठते हैं। उन्हें डयूटी मजिस्ट्रेट कहते हैं और पुलिस को 24 घंटे के अन्दर गिरफ्तार किए हुए व्यकित को उनके सामने पेश करना ही होगा।

एक बार पुलिस ने हरि को गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया । इसके बाद पुलिस ने फिर उसे तीन दिन थाने में बंद रखा। मजिस्ट्रेट ने ऐसी इजाजत कैसी दी ?

किसी भी व्यक्ति को पुलिस की हिरासत में, मजिस्ट्रेट की इजाजत से, 24 घंटे से ज्यादा रखा जा सकता है। कभी पुलिस को तहकीकात के लिये गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ करनी पड़ती है इसलिये हिरासत की अवधि बढ़ सकती है। इसके बावजूद मजिस्ट्रेट यह आदेश दे सकता है कि उसे तहकीकात के लिये कम से कम समय थाने में रखा जाये। मजिस्ट्रेट यह तय करता है कि पुलिस गिरफ्तार व्यक्ति को कितने दिन के अंदर पेश करे। इसके बाद मजिस्ट्रेट हिरासत में रखने के नये आदेश जारी करेगा। किसी भी हालत में पुलिस हिरासत की अवधि 15 दिन से ज्यादा नहीं हो सकती।

रानी को गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने रानी को उसके जुर्म की सजा के लिये उसे थाने वापस भेज दिया। पुलिस ने एक हफ्ते तक थाने में उसके साथ दुर्व्यवहार किया और फिर उसे छोड़ दिया।

मजिस्ट्रेट को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी को सजा के तौर पर थाने में बंद रखने का आदेश दे। किसी केस का फैसला करने में कानूनी प्रक्रिया का पालन मजिस्ट्रेट को भी करना पड़ता है। रानी को उसका दोष सिद्ध होने पर ही सजा दी जा सकती है । इसके बाद भी उसे जेल ही भेजा जायेगा, न कि पुलिस स्टेशन।

याद रखिये

पुलिस को बिल्कुल अधिकार नहीं है कि वे हिरासत में रखे गये व्यक्ति से पूछताछ के दौरान दुर्व्यवहार करे। यह सब बातें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि उन्हें व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की सूची में रखा गया है।

सुखराम को धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया। किन्तु अदालत ने उसे छोड़ दिया। सुखराम का कहना था कि उसे जमानत पर छोड़ा गया। अदालत ने ऐसे व्यक्ति को क्यों रिहा किया जिस पर एक जुर्म का आरोप था?

जब तक किसी के खिलाफ कोई जुर्म साबित नहीं हो जाता उसे हिरासत में रखना उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है। सुखराम को इसलिये जमानत पर छोड़ा गया। यही कारण है कि छोटे-मोटे अपराधों के अभियुक्तों को तत्काल जमानत पर छोड़ दिया जाता है। जमानत का मतलब

होता है कि अभियुक्त के या किसी अन्य के आश्वासन पर अभियुक्त को इस शर्त पर छोड़ा गया है कि वह मुकदमें के लिये अदालत में पेश होगा।

यदि किसी आदमी को जमानत पर नहीं छोड़ा जाता है तो सामान्यतः उसे न्यायिक हिरासत यानि जेल में तब तक रखा जा सकता है जब तक उसके केस का फैसला नहीं हो जाता। यदि किसी को जुर्म की सजा मिलती है तो उसे हर हालत में जेल जाना पड़ेगा लेकिन वहां भी उसके जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सुरक्षित रहता है।

चंद्रेश पर उसके भाई की हत्या का मुकदमा चल रहा था। 15 साल जेल में रहने के बाद चंद्रेश जेल से रिहा हो गया। उसने बताया कि हांलाकि अभी तक उसके केस का फैसला नहीं हुआ है पर फिर भी कोर्ट ने उसे रिहा कर दिया है। कोर्ट ने ऐसा क्यों किया ?

चंद्रेश का मुकदमा सरकार की लापरवाही से काफी लम्बा चला। 15 साल से वह जेल में बंद है। इससे उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हुआ है। एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति जेल में इतना समय रहा हो जो कि उस जुर्म की सजा का आधे से ज्यादा हिस्सा हो तो उसे तुरन्त जमानत पर छोड़ देना चाहिये।

बनवारी को किसी अपराध में दोषी पाए जाने पर उसे जेल में सजा काटने के लिए भेजा गया। वहां पर किसी बात पर जेल के वार्डन ने उसे बुरी तरह पीटा । वार्डन को ऐसा करने की कानून इजाजत नहीं देता। वार्डन ने बनवारी के जीवन जीने के अधिकार का हनन किया है।इसके लिए उसे सजा मिलेगी।

हम यह कैसे कह सकते हैं कि किसी व्यकित को, जो जेल में सजा काट रहा है, व्यकितगत स्वतंत्रता का अधिकार फिर भी मिला हुआ है ?

जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार बहुत व्यापक है। इसके अनेक अर्थ होतें हैं। जब किसी को जेल की सजा दी जाती है तब सिर्फ उसके कुछ अधिकार अस्थायी तौर पर छीन लिये जाते हैं। जैसे आजादी से फिरने का अधिकार, अपने रिश्तेदारों और मित्रों से मिलने का अधिकार, अपने मन का काम करने का अधिकार। किन्तु जिन्दा रहने और व्यकितगत स्वतंत्रता का अधिकार फिर भी बना रहता है। इसका मतलब है कि जेल में बंद व्यक्ति से भी दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता, न ही उसे कोई चोट पहुचायी जा सकती है। उसे प्रर्याप्त भेाजन, कपड़े, इलाज तथा अन्य मूलभमत आवश्यकताओं से भी वंचित

नहीं किया जा सकता। उसके अन्य कार्यकलापों पर भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता जैसे पढ़ना-लिखना, गाना, योग करना, ध्यान लगाना, आदि।

योगेश को अदालत ने फांसी की सजा दी किन्तु दो साल तक उसे फांसी पर नहीं लटकायागया। उसके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और कोर्ट ने फैसला दिया कि अब उसे फांसी नहीं दी जा सकती । कोर्ट ने ऐसा क्यों किया जबकि एक बार मौत की सजा के खिलाफ कोर्ट ने उसकी अपील खारिज कर दी थी ?

योगेश का मृत्युदंड इसलिए रदद् किया गया कि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड के आतंक से ग्रस्त रखना नृशसंता और मनुष्य की गरिमा का हनन करना है। फांसी भी आमानवीय तरीके से नहीं बल्कि मानवीय ढंग से दी जानी चाहिये।

क्या व्यक्ति को जीवित रहने और व्यकितगत स्वतंत्रता का अधिकार सिर्फ पुलिस और जेल के अधिकारियों के खिलाफ ही मिला हुआ है ?

नहीं। यह अधिकार राज्य केसभी अधिकारियों के विरूद्ध मिला हुआ है। शासन का कोई भी विभाग या अधिकारी इस अधिकार का उल्लघंन नहीं कर सकता।

गाँव के कुछ लोग एक योजना के अंतर्गत आने वाली जमीन से हटाये जाने का विरोध कर रहे थे। शासन ने इस गाँव को मिलने वाले पानी की सप्पलाई को रोकने का आदेश दिया ताकि गाँव वाले जमीन को खाली करने पर मजबूर हो जायें।

यह जीवित रहने के अधिकार का उल्लंघन है क्योंकि पानी जीवन के लिये एक आवश्यक चीज है। गाँव के लोग कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि वह शासन को ऐसा करने से रोके। सरकार ने एक पुर्नवास कालोनी के लिये जमीन आवंटित की। तीन वर्ष बाद सरकार ने उसी जमीन पर अस्पताल बनाने का फैसला किया। एक दिन नगर निगम के लोगों ने आकर बुलडोजर से वहां के घरों को गिराना शुरू कर दिया। लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। निगम के लोगों ने उत्तर दिया कि वह जमीन सरकारी है और सरकार ने उसे उनसे वापस लेने का फैसला किया है।

लोगों को बेघर करने के सरकार के इस फैसले से लोगों के जीवित रहने और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हुआ। सरकार इस तरह जमीन वापस नहीं

ले सकती। इसके लिये उसे कानून के अनुसार कार्यवाही करनी पड़ेगी। तब भी सरकार बिना पर्याप्त सूचना दिये लोगों के मकान नहीं गिरा सकती।

एक निर्माण स्थल पर लगे मजदूरों को बहुत कम मजदुरी पर काम करने के लिये मजबूर किया जा रहा था। उनसे बहुत ज्यादा घंटे काम लिया जाता था और पीने के पानी जैसी जरूरी सुविधाएं भी नहीं दी जाती थीं। उन्हें निर्माण स्थल से बाहर भी नहीं जाने दिया जाता था और जो लोग वहां से निकलने की कोशिश करते थे उनकी पिटाई की जाती थी। इस मामले में अदालत ने फैसला दिया कि उन मजदूरों के जीवित रहने और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का हनन् हो रहा है। यदि वे मजदूर प्राइवेट मालिकों का काम कर रहे थे तो उनके मौलिक अधिकारों का हनन किस प्रकार हुआ, क्योंकि मौलिक अधिकार सिर्फ राज्य के विरूद्ध मिले हुये हैं।

यह देखना राज्य का कर्तव्य है कि कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा है । इसलिये कुछ मामलों में यदि इस उल्लंघन के लिये कोई व्यक्ति जिम्मेदार है तो इसे रोकना शासन का कर्तव्य है। हाई कोर्ट को यह अधिकार है कि वह किसी भी व्यकित को चाहे वह राज्य का अंग हो या नहीं, किसी के मौलिक अधिकारों का हनन करने से रोक सकता है।

सुब्रहमण्यम की पत्नी मंजीत को उसके परिवार वालों ने जबरदस्ती कहीं छुपा दिया क्योंकि मंजीत ने उनकी मर्जी के खिलाफ सुब्रहमण्यम से शादी की थी। जब सुब्रहमण्यम को पता

मुम्बई एक बहुत बड़ा शहर है जहां तमाम लोग काम की तलाश में आते हैं। लेकिन जगह की कमी के कारण बहुत से लोग फुटपाथों पर न सिर्फ रहते हैं बल्कि वहीं काम धंधा भी करते हैं। नगर निगम ने एक दिन फुटपाथ पर रहने वालों को वहां से हटाने का आदेश जारी किया । इसके फलस्वरूप वहां रहने वाले लोगों के जीवन का अधिकार ही खतरे में पड़ गया । न सिर्फ उनके सिर पर से छत गायब हो जाती बल्कि उनकी रोजी रोटी भी खतरे में पड़ जाती। इनमें कुछ ने कोर्ट में निगम के इस आदेश के खिलाफ अपील की।

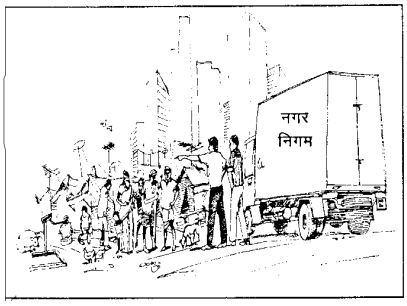

कोर्ट ने फैसला दिया कि इस आदेश से फुटपाथ वासियों का जिंदा रहने का मौलिक अधिकार खतरे में पड़ता है। इसलिये निगम उन्हें रहने और काम करने के लिये नई जगह दिये बगैर हटा नहीं सकती।

चला तो वह पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने गया पर पुलिस ने कुछ भी करने से इन्कार करते हुए कहा कि यह उसका पारिवारिक मामला है और पुलिस उसमें दखल नहीं दे सकती। सुब्रहमण्यम ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी और कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि मंजीत का पता लगाना पुकलस का कर्तव्य है और वे उसे ढूंढ कर अदालत में पेश करें।

सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश क्यों दिया जबकि पहले उसने ऐसा करने से मना कर दिया था ?

इस मामले में पुलिस ने जो कि राज्य का अंग है मंजीत की रक्षा तथा उसका पता लगाने से इन्कार करके उसके मौलिक अधिकारों का हनन किया था। इसलिए सुब्रहमण्यम की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया।

अमित और सुब्रहमण्यम के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कैसे हुआ जबकि वह अभी भी स्वतंत्र है और वे जहां जाना चाहें जा सकते हैं ?

सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने शीला और मंजीत की ओर से कार्यवाही की क्योंकि उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन् हुआ था और वह इस स्थिति में नहीं थी कि खुद कोर्ट या पुलिस को मदद् के लिए संपर्क कर सकें। पुलिस को 'शीला और मंजीत को ढुंढकर अदालत में पेश करने का आदेश इसलिए दिया गया क्योंकि यह पुलिस का कर्तव्य है कि वह सभी व्यक्तियों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करे।

राजस्थान के एक जिले में लड़कियों से छेड़छाड़ की घटनायें बढ़ रहीं थीं। जिला प्रशासन ने आदेश निकाला की दस साल से बड़ी कोई भी लड़की शाम सात बजे के बाद अपने पिता भाई या पति के बिना अकेले घर के बाहर नहीं निकल सकती।

जिला प्रशासन का यह आदेश गैर कानूनी है क्योंकि यह महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है।

मध्यप्रदेश के एक छोटे नगर में एक कुएं से एक भ्रूण बरामद किया। पुलिस अधिकारियों ने आदेश जारी किया कि ग्यारह वर्ष से अधिक उम्र की हर लड़की की डाक्टरी जाँच यह जानने के लिये की जाये कि गर्भपात किसने कराया है।

यह आदेश उस नगर की लड़कियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का घिनौना उल्लंघ न है। कानून किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत आजादी (प्राइवेसी) के उल्लंघन का अधिकार नहीं देता। किसी को भी किसी भी तरह की डाक्टरी जांच करवाने के लिये उसकी मर्जी के खिलाफ मजबूर नहीं किया जा सकता।

शिक्षा का अधिकार

वर्तमान समय में शिक्षा हमारे जीवन का जरूरी हिस्सा हो गया है। शिक्षा के बिना हम अपना जीवन स्तर ऊपर नहीं उठा सकते हैं। इन सब बातों को देखते हुए सरकार ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया है, लेकिन इस अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा।

उन्नीकृष्णन, जे. पी. बनाम आंध्र प्रदेश राज्य

(ए. आई. आर. 1993 एस. सी. 2178)

इस केस में कोर्ट ने कहा कि 6 से 14 साल तक की आयु के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त शिक्षा देना राज्य का कर्त्तव्य है। इस अधिकार की सीमा किसी भी देश की सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर निश्चित की जा सकती है। यह अधिकार प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का है न कि व्यवसायिक डिग्रियों के प्राप्त करने का।

सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वह ज्यादा से ज्यादा स्कूलों की स्थापना करें जिससे 14 साल तक का बच्चा अपना अधिकार प्राप्त कर सके।

सरकारी संस्थाओं की जिम्मेदारी होगी कि वह सभी बच्चों को शिक्षा के लिए भर्ती करें। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम जनहित याचिका द्वारा दबाव डलवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए निजी संस्थानों पर दबाव नहीं

डाला जा सकता कि वे भी वही फीस ले जो सरकारी संस्थायें उन विषयों को पढ़ाने के लिए लेती है।

सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थायें जो कि कुछ शर्तों एवं नियमों पर आधारित होती हैं। अतः उन्हें विशेष रूप से विधार्थियों की भर्ती के लिए मैरिट के सिद्धांतों का पालन करना होता है।

हरि अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता है, ताकि वह पढ़ लिखकर भविष्य में अपने पैरों पर खड़ी हो सके। परतुं गाँव में कोई स्कूल न होने की वजह से वह अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेज सकता। कुछ दिनों बाद हरि को गॉव की एक समाज सेविका द्वारा पता चलता है कि शिक्षा का अधिकार अब मौलिक अधिकार बन गया है तथा अब सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वह 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्ष प्रदान करें।

हरि ने समाज सेविका की मदद से सभी गाँव वालों को इकटठा करके लोगों को इस बारे में बताया। फिर एक वकील की मदद से सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करके यह बताया कि उनके गांव में स्कूल न होने की वजह से उनके बच्चे शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित हैं।

कोर्ट ने सरकार पर दबाव डाला कि हरि के गाँव में स्कूल की व्यवस्था की जाये जिससे गाँव का प्रत्येक बच्चा अपना मौलिक अधिकार प्राप्त कर सके।

शोषण के विरूद्ध अधिकार

अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध – (1) मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा ।

(3) .....

अनुच्छेद 24. कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध–चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगाा या किसी अन्य परिसकंटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।

अध्याय 6

शोषण के विरूद्ध अधिकार

हमारे देश में ऐसी कई प्रथाऐं थीं जिनके फलस्वरूप गरीबों का शोषण होता था । इनमें से अनेक अभी भी हमारे बीच में हैं। किंतु अब वे गैर-कानूनी हैं। फिर भी जनता में इन प्रथाओं का विरोध करने की ताकत अक्सर नहीं होती । संविधान ने सभी राज्य पर यह जिम्मेदारी डाली है कि वह लोगों का शोषण न होने दें। इसीलिये 'शोषण के विरूद्ध अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूचित में रखा गया है।

ऐसी कौन सी प्रथायें हैं जिनमें जनता को बचाना राज्य का कर्तव्य है ?

मनुष्य को व्यापार की वस्तु बनाना, लोगों से बेगार काम लेना या जबरदस्ती काम लेना

ऐसी प्रथायें हैं जिनमें जनता की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है।

मनुष्यों के व्यापार से क्या मतलब है?

इसका मतलब है मनुष्यों को इस तरह खरीदना और बेचना जैसे वे किसी की संपत्ति हों।

रेशमा एक बारह साल की लड़की है। उसके पिता ने उसे कुछ रूपयों मे पड़ोस के गांव के एक आदमी को बेच दिया।

रेशमा अपने पिता की या किसी और की संपति नहीं है। उसे इस तरह बेचना कानूनी जुर्म है। रेशमा दोनों के खिलाफ पुलिस या अदालत से अपनी रक्षा करने के लिये कह सकती है। यदि पुलिस कहती है कि वह पिता-पुत्री के निजी मामले में दखल नहीं दे सकती तो रेशमा क्या कर सकती है?

न तो पुलिस न अदालत यह कह सकती है कि यह रेशमा और उसके पिता का निजी मामला है। इस तरह के व्यवहार से रक्षा पाना रेशमा का मौलिक अधिकार है। यदि पुलिस उसकी मदद नहीं करती है तो वह सुप्रीम कोर्ट में अपनी रक्षा के लिये अपील कर सकती है। कोर्ट स्थानीय पुलिस या प्रशासन को आदेश देगी कि उसे सुरक्षा प्रदान की जाये।

वेश्यावृत्ति भी एक तरह का दैहिक व्यापार है।

बीस साल की कमला के पास जीविका का कोई साधन नहीं है। उसका परिवार भी इतना गरीब है कि उसे खिला-पिला नहीं सकता। वह शहर जाकर वेश्या बन गई। पुलिस ने उसे वहां से छुड़ाकर एक नारी निकेतन भेज दिया।कमला एक बालिग होने के नाते यह फैसला करने के लिये स्वतंत्र है कि वह यह पेशा अपना सकती है या नहीं । कानून को उसे सुरक्षा प्रदान करने की क्या जरूरत है?

वेश्यावृत्तिका पेशा मनुष्य का शोषण करता है। इसका मतलब है कि यह पेशा लोग मजबूरी में अपनाते हैं। इसलिये कानून का कर्तव्य है कि वह कमला तथा दूसरे ऐसे ही मजबूर लोगों की रक्षा करें।

बेगार क्या है?

बेगार शोषण की सबसे बुरी कुप्रथाओं में से एक है। बेगार का मतलब है किसी को उसके काम की मजदूरी नहीं देना।

मजदूरी क्या है?

मजदूरी का अर्थ है वह राशि जो एक व्यक्ति को उसके काम के लिये दी जाती है। गाँव में हमारे पूर्वजों से बेगार काम लिया जाता था। हम लोग भी वही कर रहे हैं। लोगों की हिम्मत नहीं होती कि मजदूरी मांगे और न कोई इस अन्याय की ओर ध्यान दिलाता है। किस की हिम्मत है कि जमींदार से लोगों को मजदूरी दिलवाये? वह कहता है कि लोगों से बेगार लेने का उसे अधिकार है।

कानून के अनुसार किसी व्यक्ति से बिना मजदूरी दिये काम लेना एक जुर्म है। यदि कोई व्यक्ति शिकायत कर दे तो जमींदार को जेल की हवा खानी पड़ेगी तथा मजदूरों को उनके काम के लिये पूरा पैसा भी देना पड़ेगा।

लाखन सिंह जी हमारे गाँव के ण्क बड़े जमींदार हैं । जो लोग उनका काम करते हैं उनके प्रति वे बड़े दयालू हैं। फसल कटने के बाद वे हर मजदूर को एक बोरा अनाज और 50 रूपये देते हैं।

लाखन सिंह जी मजदूरों को जो देते हैं वह उनका मजदूरी नहीं है। कानून के मुताबिक हर व्यकित को उसके काम की पूरी मजदूरी मिलनी चाहिए। कानून ने यह राशि तय की है। इसे न्यूनतम मजदूरी कहते हैं। मजदूर को इससे ज्यादा रकम तो दी जा सकती है लेकिन उससे कम हरगिज नहीं। ऐसा करना अपराध होगा।

एक निर्माण कंपनी कुछ बिल्डिंगें बनवा रही थी। उसने अनेक महिलाओं और पुरूषों को काम पर लगा रखा था। इन मजदूरों से सारे दिन काम लिया जाता था किंतु उन्हें जिंदा रहने लायक मजदूरी नहीं दी जाती थी। एक सामाजिक कार्यकर्ता को जब इस शोषण का पता चला तो उसने शासन से शिकायत की। एक अफसर को शिकायत की सच्चाई का पता लगाने के लिये भेजा गया। कंपनी के मालिकों ने कहा कि मजदूरों ने उतनी ही मजदूरी पर काम करने की बात खुद मानी है।

यदि कोई व्यकि कानून द्वारा तय की गई मजदूरी से कम पर भी काम करने को राजी हो जाता है, तो भी मालिक को उसे तयशुदा मजदुरी ही देनी पड़ेगी। नही ंतो उसे सजा मिलेगी।

ऐसा कैसे हो सकता है?

हमारे देश में लोगों को हमेशा काम नहीं मिलता, इसलिये वे कम मजदूरी पर भीकाम करने के लिये तैयार हो जाते हैं। इस तरह मालिक लोगों का शोषण करते हैं। इन्हीं कारणों से शोषण के विरूद्ध मौलिक अधिकार की व्यवस्था की गई है। मालिकों को हर हालत में पूरी मजदूरी देनी पड़ेगी। इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता।

हनीफ एक खेतिहर मजदूर है। उसके मालिक ने उससे कहा कि यदि वह काम चाहता है तो उसके साथ उसकी बीबी को भी काम करना पड़ेगा। इसलिये उसकी बीबी शाहीन भी सारा दिन उसके साथ काम करती है। इसके लिये उसे बहुत कम मजदूरी मिलती है।

यह जबरदस्ती मजदूरी कराना कहलाता है जिससे शाहीन के मौलिक अधिकार का हनन होता है।

राजस्थान के एक गांव के खेतिहर मजदूरों के एक परिवार ने जमींदार से अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए एक छोटा कर्ज लिया। जमींदार ने इस कर्ज पर तगड़ा ब्याज लगाया। कर्जदार परिवार कर्ज चुकाने की हालत में नहीं था क्योंकि वह गरीबी के तले दबा था। जमींदार ने उनसे कहा कि कर्ज की अदायगी के लिए पूरे परिवार को उसके लिए मुफ्त काम करना पड़ेगा। इसे बंधुवा मजदूरी कहते हैं।

कुछ लोगों को जाति के आधार पर पुश्त-दर-पुश्त अपनी मर्जी के खिलाफ काम करना पड़ता है। यह एक तरह की बंधुआ मजदूरी है। कानून में इसकी मनाही है।

शक्कू को पूरे गाँव का मल उठाने के लिये मजबूर किया गया, हालांकि वह पहले से दूसरा काम कर रहा था और यह काम नहीं करना चाहता था। उससे यह काम करने को इसलिये कहा गया क्योंकि उसके बाप दादा भी यही काम करते थे । हालांकि शक्कू को इस काम के लिये पैसा मिलता था, लेकिन यह उसके मर्जी के खिलाफ होने के कारण एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी।

मजदूरी में करवाये गये ये सभी काम कानून में बंधुआ मजदूरी कहलाते हें, और किसी को इनके लिये मजबूर करना एक अपराध है, क्योंकि यह 'शोषण के खिलाफ मूलभूत अधिकार का हनन करता है।

बेगार का पूरे देश में चलन है सिर्फ गाँवों में ही नहीं बल्कि शहरों में भी, जहां लोगों को गाँवों से लाया जाता है और मुफ्त या बहुत कम मजदूरी पर काम करने के लिये मजबूर किया जाता है।

बंधुआ मजदूर (उन्मूलन तथा पुनर्वास) अधिनियम 1976 के अंतर्गत बंधुआ मजदूरी कराना एक अपराध है।

शासन का यह कर्तव्य है कि बंधुआ मजदूर को उनकी दास्ता से मुक्ति दिलाकर उसके मूलभूत अधिकारों की रक्षा करे। इन मुक्त लोगों का पुनर्वास करना भी शासन का कर्तव्य है।

पुनर्वास का क्या मतलब है?

पुनर्वास का मतलब है कि बेगार या बंधुआ मजदूरी से मुक्त लोगों को जीविका का कोई अन्य साधन उपलब्ध कराना ताकि वे दुबारा शोषण का शिकार न हों। एक केस में जहां बंधुआ मजदूरी को आजाद कराया गया कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि उनका इस तरह से पुनर्वास किया जाये कि वे दुबारा इस तरह के शोषण के जाल में न फंस सकें। लेकिन कभी-कभी सुप्रीम कोर्ट्र या हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होता है। एक केस में तो कोर्ट के आदेश पर सरकार ने बंधुआ मजदूरों को छुड़ाया लेकिन उनका पुनर्वास नहीं किया।

बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया

(ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 802)

बंधुआ मुक्ति मोर्चा एक संस्था है जो बंधुआ मजदूरों की मुक्ति के लिए कार्यरत है। इसने फरीदाबाद (हरियाणा) की पत्थरों की खदानों में सर्वेक्षण किया। तब उसे पता चला कि इन खदानों में महाराष्ट्र,मध्यप्रदेश,उत्तर प्रदेश और राजस्थान से आए मजदूर बंधुआ मजदूरों की तरह काम कर रहे हें। मजदूरों के काम करने की स्थिति दयनीय थी। उनके परिवार बहुत खराब हालत में थे। छोटी-छोटी झोपड़ियों में पूरे परिवार को रहना पड़ता जहॉ साफ पीने के पानी का इन्तजाम भी नहीं था। यदि कोई मजदूर बीमार पड़

जाए या उसे चोट लग जाये तो कोई डाक्टर उनकी देखभाल के लिये नहीं था। इसके अलावा काम करने के घंटे बहुत अधिक थे।

बंधुआ मुक्ति मोर्चा ने यह सारी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को भेजी और साथ में एक पत्र भी लिखा कि इससे मजदूरों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। पूरे तथ्यों का पता लगाने के लिये सुप्रीम कोर्ट ने एक आयोग का गठन किया है। आयोग ने पाया कि संगठन की रिपोर्ट सही है और लगभग दो हजार बंधुआ मजदूर वहां काम कर रहे हैं। कोर्ट ने आदेश दिया कि इन मजदूरों को बंधन मुक्त कर दिया जाये और जो मजदूर अपने राज्यों में वापस जाना चाहते हों उन्हें सरकार जाने के लिये हर संभव सहायता दे। इसके अलावा कोर्ट ने आदेश दिया कि जो मजदूर अभी भी वहां काम करना चाहते हों उनकी काम करने की स्थिति को सुधारा जाए। कोर्ट ने हरियाणा सरकार तथा जिला मजिस्ट्रेट को मजदूरों के हितों का ध्यान रखने का भी आदेश दिया।

क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हमेशा पालन किया जाता है? ऐसी स्थति में हमें क्या करना चाहिये ?

ऐसी स्थिति में हमें उचित कोर्ट में शिकायत दर्ज करनी चाहिये। कोर्ट अपने आप कोई कार्यवाही नहीं कर सकती जब तक कि कोई शिकायत दर्ज न करे।

बच्चे कुछ खास जगह पर काम नहीं कर सकते ।

कभी-कभी बच्चों को ऐसी जगहों में काम करने के लिये मजबूर किया जाता है। जहां उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है । चूंकि बच्चों की मर्जी की कोई कीमत नहीं है, उनका शोषण,

नीरजा चौधरी बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश

(ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 1099)

दिल्ली की एक पत्रकार नीरजा चौधरी ने फरीदाबाद (हरियाणा) की पत्थरों की खदानों से मुक्त कुछ मजदुरों से जाकर मुलाकात की। ये मजदूर मुख्यमंत्री के इस आश्वासन पर मध्य प्रदेश में अपने गांव वापस चले गये थे कि वहां उनका पुनर्वास किया जायेगा। वहां पहुँचने के छह महीने बाद भी उनके लिये कुछ भी नहीं किया गया था। वह अभी भी बेघर थे और

भूखे मर रहे थे। इस पत्रकार ने इन 135 भूतपूर्व बंधुआ मजदूरों की दशा के बारे में सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र लिखा। कोर्ट ने इस पत्र को याचिका मानकार कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं की सतर्कता समिति गठित करने का आदेश दिया। इस समिति को भूतपूर्व बंधुआ मजदूरों की पहचान करने तथा उनके पुनर्वास पर निगरानी रखने को कहा गया। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य शासन को आदेश दिया कि वह इस समिति के काम में पूरी मदद करे तथ कोर्ट के आदेशों के पालन की सूचना कोर्ट को दे। कोर्ट न यह भी फैसला दिया कि जिस व्यक्ति से भी मुफ्त या कम मजदूरी पर काम लिया जायेगा उसे बंधुआ मजदूर माना जायेगा।

धड़ल्ले से होता है इसीलिये चौदह साल से कम उम्र के बच्चों से फैक्टरियों, खदानों तथा ऐसी ही दूसरी खतरनाक जगहों में काम लेना गैर-कानूनी है।

इसी तरह अक्सर बच्चों से बहुत कम मजदूरी पर लम्बे समय तक काम लिया जाता है। न इन बच्चों के माता- पिता,न इनके मालिक इनके कल्याण की और ध्यान इेते हैं। यानि, इनका जमकर शोषण होता है।

हमारे देश में बाल श्रमिक (निषेध तथा विनियमन)अधिनियम 1986 नामक एक कानून है जिसके अंर्तगत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कुछ किस्म के खतरनाक और हानिकारक काम लेना एक अपराध है। यह सुनिश्चित करना 'शासन का कर्तव्य है कि इस कानून का पालन किया जाए क्योंकि बच्चे खुद शोषण से अपनी रक्षा नहीं कर सकते।

एम. सी. मेहता बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु

(1996 (6) एस. सी. सी 756)

तमिलनाडु में शिवकाशी नामक स्थान अपने आतिशबाजी तथा माचिस उधोग के लिये मशहूर है। इन फैक्ट्रियों में तमाम बच्चे लम्बे समय तक खतरनाक रसायनों से काम करते हैं।

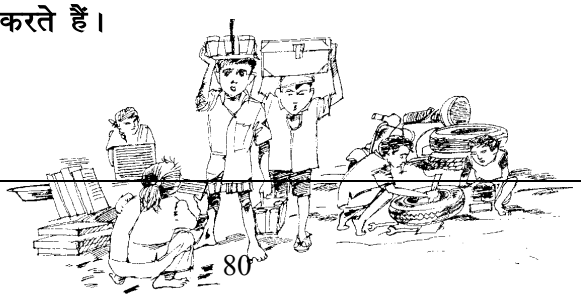

एम.सी.मेहता नामक एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके यह शिकायत की कि वहां बच्चों से खतरनाक किस्म का काम लिया जा रहा है जो संविधान के अनुच्छेद 24 में लिखे उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। कमेटी बनाने तथा विभिन्न रिपोर्ट और अध्ययन पर विचार करने के बाद कोर्ट ने निम्नलिखित निर्देश दिएः

1. एक देशव्यापी सर्वेक्षण करके बाल मजदूरों का पता लगाया जाए ।यह सर्वेक्षण कोर्ट के फैसला देने के छह महीनों के अन्दर हो जाना चाहिए। (10 दिसम्बर 1996 को कोर्ट ने अपना यह फैसला सुनाया था)

2. कमाई के अन्य साधन उपलब्ध कराकर ही अभिभावकों को बच्चों को काम पर भेजने से रोका जा सकता है। इसके लिए कोर्ट ने राज्य द्वारा प्रत्येक परिवार के एक वयस्क सदस्य को उस बच्चे के स्थान पर जो किसी फैक्टरी, खान या खतरनाक काम में लगा हुआ है, रोजगार उपलब्ध कराने को कहा।

3. बाल मजदूरों के मालिक पर रू.20,000/- जुर्माना लगाया जाए और यह राशि बाल श्रम पुनर्वास एवं कल्याण कोष (Child Labour Rehabilitation-cum-Welfare Fund) मे जमा कराई जाए। यदि कोई बच्चा किसी फैक्टरी ,खान या किसी खतरनाक काम पर लगा हुआ है और राज्य उस बच्चे के स्थान पर उसके स्थान पर उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य को रोजगार उपलब्ध कराने में असमर्थ है तो राज्य को इस कोष में रू.5,000/-का योगदान होगाा।

4. रू.25,000/- का एक कापर्स फंड (corpus Fund) प्रत्येक बच्चे के लिए बनाया जाए। अगर परिवार के किसी वयस्क सदस्य को बच्चे के स्थान पर नौकरी नहीं दी जाती है तो अभिभावक/ संरक्षक को इस कोष पर मिलने वाला ब्याज प्रतिमाह दिया जाएगा। अगर बच्चे को स्कूल नहीं भेजा जाता है तो यह भुगतान रोक दिया जाएगा। परन्तु यदि बच्चा किसी खतरनाक जगह पर काम नहीं कर रहा है तो उसकी पढ़ाई का खर्चा उसके मालिक को उठाना होगा।

इसके साथ ही कोर्ट ने प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दिए जाने पर भी जोर दिया। जिला प्रशासन को निःशुलक और अनिवार्य शिक्षा लागू करने तथा जो बच्चे किसी खतरनाक जगह पर काम नहीं कर रहे हैं उनके कार्य समय पर ध्यान रखने को कहा। कोर्ट ने भारत सरकार के श्रम मंत्राालय के सचिव को इस सम्बन्ध में उठाए गए कदमों के बारे में एक साल के अन्दर रिपोर्ट देने को कहा।

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता (1) लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने,आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा।

(2) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो -

(क) धार्मिक आचरणसे संबद्व किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बधन करती है,

(ख) सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिन्दुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है।

अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतन्त्रता -लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए,प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को -

(क) धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थओं की स्थापना और पोषण का,

(ख) अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का ,

(ग) जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का, और

(घ) ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का ,अधिकार होगा ।

अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करो के संदाय के बारे में स्वतंत्रता–किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा जिनके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित किये जाते हैं।

अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता (1) राज्य-निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी ।

(2) खंड (1) की कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था को लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है किंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है।

(3) राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य-निधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में या उससे संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने, या यदि वह अवयस्क है तो उसके संरक्षक ने, इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे दी है।

अध्याय 7

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

हमारे देश में हर व्यक्ति को अपने मन का धर्म अपनाने का मौलिक अधिकार है। इसका अर्थ है कि सरकार आपको अपने मन का धर्म अपनाने या उस धर्म के अनुसार आचरण करने से रोक नहीं सकती।

सविता जन्म से हिन्दू है।

शाहिन जन्म से मुसलमान है।

सारा जन्म से ईसाई है।

सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती है जो इनमें से किसी को मजबूर करे कि इस देश में रहने के लिये उन्हें अपना धर्म छोड़ना पड़ेगा। कोई भी धर्म मानना आपका अपना हक है और यह एक मौलिक अधिकार है।

सविता ईसाई बनना चाहती थी और इसलिये वह हर इतवार प्रार्थना करने चर्च जाने लगी। सविता जो धर्म चाहे अपना सकती है और उसके अनुसार आचरण कर सकती है।

सविता, शाहीन और सारा, जिनके धर्म अलग-अलग हैं, एक शासकीय विभाग में नौकरी के लिये आवेदन करती हैं।

सरकार उन्हें उनके धर्म के आधार पर न तो कोई नौकरी दे सकती है और इस आधार पर उनकी अर्जी खारिज कर सकती है।

दिल्ली के कुछ मुसलमानों ने एक मदरसा खोला जिसमें वे बच्चों को अरबी पढ़ाना तथा इस्लाम की शिक्षा देना चाहते थे।

यह उनका मौलिक अधिकार है और कोई उन्हें ऐसा करने से रोक नहीं सकता।

एक गुरूद्वारा कमेटी ने एक दूसरे मोहल्ले में एक नया गुरूद्वारा बनाने के लिये चंदा इकटठा करना शुरू किया।

इस कमेटी को ऐसा करने का अधिकार है।

कुछ पारसियों ने अपनी तरफ से रूपये देकर एक भवन खरीदा जहां पारसी लोग इकट्ठा होकर धार्मिक प्रवचन कर सकें।

उन्हें ऐसा करने का मौलिक अधिकार है।

कुछ हिन्दुओं ने चन्दा इकट्ठा करने के लिये एक कमेटी बनायी ताकि वे इस धन से विभिन्न त्योहारों पर समारोह कर सकें।

उन्हें ऐसी कमेटी बनाने का मौलिक अधिकार है।

एक साधु ने घनश्याम की जमीन पर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठना शुरू किया। कुछ दिनों बाद उसने वहां घनश्याम के विरोध के बाबजूद एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और फिर एक पक्की इमारत। घनश्याम ने पुलिस को बुलाया लेकिन पुलिस ने कहा कि वे साधु को वहां से हटा नहीं सकते क्योंकि सरकार किसी के धर्म-कर्म में दखल नहीं दे सकती।

पुलिस का यह जबाब सही नहीं है। धर्म के नाम पर यदि आप कुछ करते हैं तो वह भी कानून के अन्दर ही होना चाहिये। धर्म के नाम पर किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा नहीं किया जा सकता।

राज्य न किसी धर्म की सहायता कर सकता है और न किसी धर्म के खिलाफ कुछ कर सकता है।

यदि किसी राज्य की सरकार एक ऐसा कानून बनाती है जिसके मुताबिक सरकारी नौकरियों में हिन्दुओं को रियायत दी जायेगी तो यह गैर हिन्दुओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा।

संविधान के अनुसार राज्य किसी धर्म का पक्ष नहीं ले सकता।

अगर सरकार यह कानून बनाती है जिसके तहत इस्लाम धर्म से संबंधित किताबों पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो चुनौती देने पर कोर्ट ऐसे कानून को

गलत घोषित कर देगा। वह इसलिए कि ऐसा कानून मुसलमानों के धर्म पालन और प्रचार के मौलिक अधिकारों का हनन करता है।

क्या इसका अर्थ यह है कि संविधान धर्म की अनुमति नहीं देता?

नहीं। संविधान हरेक को अपनी मर्जी का धर्म मानने का अधिकार देता है। इसका अर्थ सिर्फ यह है कि राज्य का कोई काम धर्म से प्रभावित नहीं होगा।

हमने सुना है कि राज्य ने मंदिरों के कारोबार को नियमित करने के लिये तथा कई स्थानों की तीर्थयात्राओं को सुचारू रूप देने के लिये कानून बनाये हैं। यदि राज्य को धर्म से कुछ लेना देना नहीं है तो ये कानून क्यों बनाये गये हैं?

मंदिरों के कारोबार तथा तीर्थयात्राओं के संचालन से सम्बंधित तमाम ऐसे काम होते हैं जिनका धर्म से सीधा संबंध नहीं होता, जैसे पैसों का प्रबंध तथा तीर्थयात्रियों के लिये आवश्यक सुविधाएं जुटाना। इसलिये राज्य को कानून बनाने की इजाजत दी गयी है ताकि मंदिरों से संबंधित कामकाज नियमित तरीके से हों तथा तीर्थयात्रियों को सुरक्षा और सुविधा प्राप्त हो।

कुछ मंदिरों तथा गुरूद्वारों के प्रशासनिक कार्यों के विनियम के लिये भी कानून होते हैं । कुछ वक्फ बोर्ड जैसे धार्मिक ट्रस्टों की व्यवस्था को नियमितकरने के लिये भी कानून हैं । जब तीर्थ यात्री कुम्भ मेला या हज के लिये मक्का जाते हैं, शासन उनकी सुरक्षा और आराम के लिये इंतजाम करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि शासन धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करता है।

किन्तु लोगों को धर्म के नाम पर कुछ भी करने का असीमित अधिकार नहीं मिल सकता। यदि कोई धार्मिक कृत्य सार्वजनिक अमन चैन, नैतिकता या स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है तो शासन को हस्तक्षेप करने का अधिकार है।

मुसलमानों के दो सम्प्रदाय एक जमीन के कब्जे को लेकर लगातार झगड़ रहे थे। इस जमीन पर इनमें से एक सम्प्रदाय के लोगों की कब्रें थीं। कानून और व्यवस्था को खतरे में डालने वाली इस समस्या के समाधान के लिये शासन ने आदेश दिया कि इन कब्रों का एक दूसरी जगह स्थनांतरण कर दिया जाये।

इसे धर्म के मामले में अनुचित हस्तक्षेप नहीं कहा जा सकता क्योंकि जनता की सम्पत्ति और जीवन की सुरक्षा करना राज्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

एक जैन मंदिर का प्रधान पुजारी उस मंदिर की कुछ महिला पुजारियों तथा भक्तों के साथ यौन दुराचार कर रहा था। पुलिस ने मंदिर पर छापा मारकर उस पुजारी को गिरफ्तार कर लिया। इसका मतलब जैन धर्म की साधना में अनुचित हस्तक्षेप नहीं है क्योंकि सार्वजनिक नैतिकता बनाये रखना राज्य का कर्तव्य है।

हिन्दुओं का एक संप्रदाय धतूरा के सेवन को यह कहकर बड़े पैमाने पर बढ़ावा देता था कि इससे भक्तों को मुक्ति प्राप्त होगी।

इस प्रचार को बंद करना शासन का कर्तव्य है क्योंकि धतूरा स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है।

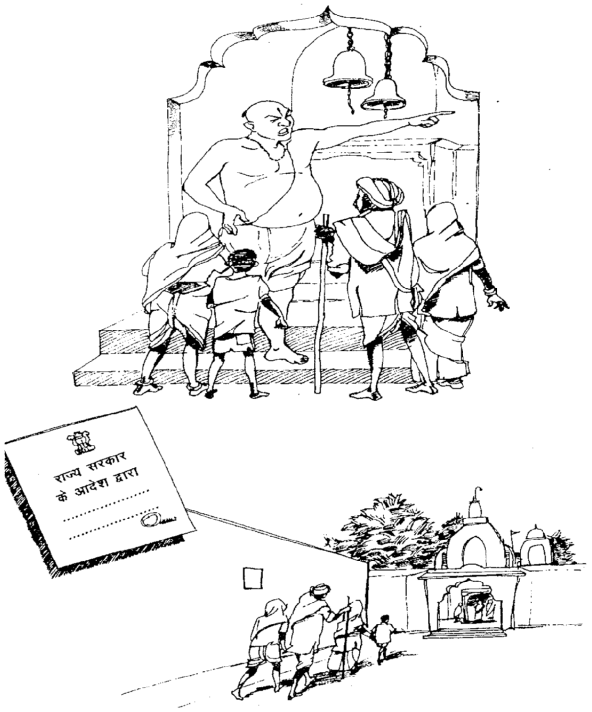

सरकार ने एक आदेश जारी किया कि सब जाति के लोग मंदिर में जा सकते हैं। संविधान सरकार को ऐसा करने की इजाजत देता है।

राजस्थान के मंदिर में हरिजनों का प्रवेश वर्जित था। राज्य शासन ने उस मंदिर में प्रवेश के लिये एक आदेश जारी कर यह भेदभाव मिटा दिया।

यह धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं है क्योंकि शासन सामाजिक सुधार के लिये जरूरी कदम उठा सकती है।

मध्य प्रदेश के एक जिले में हिन्दुओं का एक अत्यन्त पवित्र मंदिर है। चूंकि यह एक बड़ा लोकप्रिय मंदिर है राज्य शासन ने इसके रखरखाव के लिये उस जिले के निवासियों पर एक टैक्स लगाने का निश्चय किया। राधू ने कहा कि वह यह टैक्स नहीं देगा।

राधू यह टैक्स देने से मना कर सकता है। यह उसका मौलिक अधिकार है। सरकार धार्मिक कार्यों के लिये टैक्स नहीं लगा सकती।

एक सरकारी स्कूल का हैडमास्टर विधार्थियों से रोज पूजा और हवन करवाता था। कुछ विधार्थियों ने ऐसे करने से इन्कार किया। हैडमास्टर ने उन्हें निलंबित कर दिया। इन विधार्थियों के माता-पिता यह मामला शिक्षा मंत्रालय ले गये । मंत्रालय ने उन विधार्थियों को स्कूल में वापस लेने का आदेश दिया।

कोई भी शिक्षा संस्था जो पूरी तरह सरकारी खर्च से चलती है, धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकती।

हमारे नगर में एक आर्य समाज स्कूल है जो शासन की देख-रेख में चलता है। वहां हवन और वैदिक मंत्रों का पाठ नियमित रूप से होता है। इसी तरह ईसाई मिशनरियों द्वारा चालू किया गया एक स्कूल शासन के खर्च से चलाया जाता है। इस स्कूल में भी बाईबल पढ़ाई जाती है। क्या यह भी कानून के खिलाफ है?

नहीं। ऐसे स्कूलों में धार्मिक शिक्ष की मनाही नहीं है जो किसी धार्मिक ट्रस्ट द्वारा स्थापित किये गये हैं किंतु जो शासन द्वारा चलाये जाते हैं।

शशि और शहनाज दो सहेलियां हैं जो एक आर्य समाज स्कूल में पढ़ती हैं। उन्होंने कहा कि वे ऐसी कक्षा में नहीं पढ़ेगी जहां धार्मिक शिक्षा दी जाती है स्कूल के प्रधानाचार्य ने उन्हें स्कूल से निकाल देने की धमकी दी। प्रधानाचार्य ने कहा कि स्कूल एक ट्रस्ट द्वारा संचालित है जो धार्मिक शिक्षा को अनिवार्य मानता है। क्या शशि और शहनाज को स्कूल छोड़ना पड़ेगा ?

नहीं। जिस स्कूल में शशि और शहनाज पढ़ती हैं वह शासन से सहायता और मान्यता प्राप्त है। ऐसे स्कूल किसी विधार्थी को बिना उसके अभिभावकों की अनुमति के धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिये मजबूर नहीं कर सकते। शशि और शाहनाज को उनके माता-पिता ने धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी थी।

सुरिन्द्र एक स्थानीय गुरूद्वारा के सिख ट्रस्ट द्वारा संचालित एक इंजिनियरिंग कालेज में पढ़ता है। यह कालेज भी आर्य समाज स्कूल की तरह शासन द्वारा मान्यता प्राप्त है किंतु सिख ट्रस्ट से चलाया जाता है। इसमें भी सिख धर्म की शिक्षा अनिवार्य है। जब सुरिन्दर ने धार्मिक शिक्षा की कक्षाओं में उपस्थित रहने में अपनी असमर्थता प्रकट की तो कालेज ने उसके माता-पिता को पत्र लिखकर सूचित किया कि यदि सुरिन्द्र धार्मिक कक्षाओं से अनुपस्थित रहता है तो उसे कालेज से निकाल दिया जायेगा। सुरिन्द्र के पिता ने प्रधानाचार्य को उत्तर दिया कि वे सुरिन्द्र को धार्मिक कक्षाओं में उपस्थित रहने के लिये कहेंगे। क्या सुरिन्द्र को अपनी मर्जी के खिलाफ उन कक्षाओं में उपस्थित रहना पड़ेगा ?

सुरिन्द्र 19 साल का है और अब वह नाबालिग नहीं है। सुरिन्दर के माता-पिता अब उसके अभिभावक नहीं हैं और वह अपने बारे में खुद निर्णय लेने में सक्षम है। उसे उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ करने के लिये मजबूर नहीं किया जा सकता। हरेक का ऐसे मामलों में अपने विवेक के अनुसार आचरण करने का अधिकार है। यदि कालेज किसी को धार्मिक कक्षाओं से अनुपस्थित रहने के कारण कालेज से निकालता है तो शासन कालेज के खिलाफ कार्यवाही कर सकता है।

बीजोए एमेन्युएल बनाम स्टेट ऑफ केरल

(1986 (3) एम. सी. सी. 615)

केरल राज्य के शिक्षा विभाग द्वाराबनाये गये नियमों के अनुसार हर स्कूल में सुबह सामूहिक राष्ट्रीय गान अनिवार्य कर दिया गया। एक स्कूल के तीन बच्चों ने राष्ट्रीय गान गाने से इंकार कर दिया। उनका कहना था कि वे जेहोवा विटनेस सम्प्रदाय के सदस्य हैं तथा उनका धर्म अपने ईश्वर के

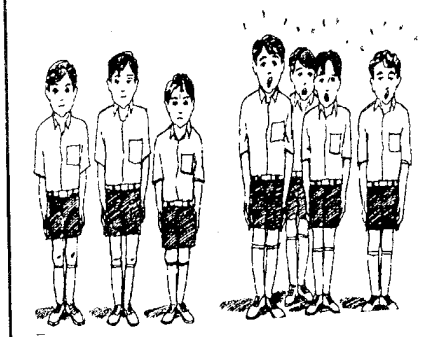

अलावा किसी अन्य _____ की प्रशंसा करने को मना करता है। इन बच्चों को राष्ट्रीय गान बहिष्कार करने के लिये स्कूल से निकाल दिया गया। जब राज्य के हाईकोर्ट ने भी उनकी अपील खारिज कर दी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। उनका तर्क था कि उनके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है और स्कूल द्वारा उन्हें वापस लिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोट्र ने फैसला दिया कि इन बच्चों के मूलभूत अधिकार का वास्तव में हनन् हुआ है। हरेक नागरिक को अपने मन का धर्म मानने का अधिकार है। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या वे इस धर्म का ईमानदारी से पालन करते हैं। राष्ट्रीय गान नहीं गाया पर उन्होंने शांतिपूर्वक खड़े रहकर गायन के प्रति असम्मान भी प्रकट नहीं किया। किसी धर्म के अनुसार आचरण करने का मूलभूत अधिकार उसी हालत में सीमित किया जा सकता है जब ऐसा आचरण सार्वजनिक शांति,स्वास्थ्य या नैतिकता के विरूद्व हो। ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके अनुसार राष्ट्रीय गान न गाने वाले को सजा मिलनी चाहिए। शासन तथा स्कूल ने बच्चों को स्कूल से निकालकर गलत काम किया। स्कूल को आदेश दिया गया कि वह तीनों बच्चों को वापस ले।

संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार

अनुच्छेद 29. अल्पसंख्यक-वर्गों के हितों का संरक्षण-(1) भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को,जिसकी अपने विशेष भाषा , लिपि या संस्कृति है, उसे बनाये रखने का अधिकार होगा।

(2) राज्य द्वारा पोषित या राज्य-निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म ,मूलवंश ,जाति, भाषा या इनमें से कियी के आधार पर वंचित नहीं किया जायेगा।

अनुच्छेद 30. शिक्षा संस्थओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक-वर्गों का अधिकार-(1) धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक-वर्गों को अपनी रूचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थपना और प्रशासन का अधिकार होगा।

(1-**क**) .....

(2) शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरूद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक-वर्ग के प्रबंध में है।

अध्याय 8

सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकार

हमारे देश में विभिन्न संस्कृतियां हैं। अलग-अलग क्षेत्रों के लोग अलग-अलग धर्म और रीति रिवाज मानते हैं। संविधान इस अनेकता का सम्मान करता है तथा हर व्यक्ति को अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने तथा इसका समर्थन करने का अधिकार देता है।

सिखों ने पंजाबी भाषा की शिक्षा के विकास और प्रचार के लिये एक विश्वविधालय स्थापित किया है। उन्हें ऐसा करने का मौलिक अधिकार है।

कुछ समुदायों की अपनी ही संस्कृति, धर्म तथा भाषा होती है। यह समुदाय अन्य समुदायों की तुलना से संख्या में काफी कम होते हैं। इसीलिए इन्हें

अल्पसंख्यक कहा जाता है। इन समुदायों को अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है और वह इसके लिए शैक्षणिक संस्थान भी स्थापित कर सकते हैं। सरकार इन संस्थानों की स्थापना के लिए आर्थिक और अन्य प्रकार की मदद से इंकार केवल इसलिए नहीं कर सकती कि वह अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित है। शासन किसी संस्था को अनुदान या अन्य सहायता देना इस आधार पर नहीं मना कर सकता कि वह अल्पसंख्यकों के लिये हैं।

एक एंग्लो-इंडियन कालेज शासन से कुछ धनराशि पाता है। यह कुछ सीटें अपने समाज के विधार्थियों के लिये आरक्षित करता है। ऐसा करने का उसे अधिकार है, हालांकि उसे शासन से सहायता मिलती है। यह अल्पसंख्यकों की संस्था है और कालेज को अपने समाज के लोगों के लिये सीटें आरक्षित करने का अधिकार है।

यह मौलिक अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। यह अधिकार अल्पसंख्यकों को उनकी संस्कृति पर गर्व करने के मार्ग में कोई अवरोध नहीं पैदा करता तथा अधिक लोकप्रिय और प्रधान संस्कृति का वर्चस्व नहीं स्थपित करता। इसीलिये शासन द्वारा संचालित या सहायता प्राप्त सरकारी संस्थओं को किसी व्यक्ति को उसके धर्म, नस्ल, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश न देने का अधिकार नहीं दिया गया है।

रवि उड़ीसा की एक छोटी जनजाति का सदस्य है। उसने गवर्नमेंट डिग्री कालेज की प्रवेश परीक्षा पास की है। कालेज के प्रधानाचार्य ने उसे यह कह कर प्रवेश नहीं दिया कि उसकी जनजाति के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं और उसकी मातृभाषा बहुत से लोग नहीं समझते। रवि ने प्रधानाचार्य के निर्णय को अदालत में चुनौती दी है।

अदालत ने फैसला दिया कि रवि को उसकी नस्ल और भाषा के आधार पर कालेज में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता।

सांविधानिक उपचारों का अधिकार

अनुच्छेद 32. इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार –

(1) इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है।

(2) इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को ऐसे निर्देश या आदेश या रिट जिनके अर्न्तगत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश,प्रतिषेध अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण रिट हैं, जो भी समुचित हों, निकालने की शक्ति होगी।

(3) .....

(4) इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निलंबित नहीं किया जाएगाा।

अध्याय 9

सांविधानिक उपचारों का अधिकार

संविधान जनता को अत्यंत महत्वपूर्ण और मूल्यवान अधिकार देता है। किन्तु इन अधिकारों को अमल में लाने के लिये कोई व्यवस्था न हो तो वह निरर्थक होंगे।

शासन एक कानून बनाता है जिसके अंतर्गत एक जाति विशेष के लोगों को कोई भी सरकारी नौकरी पाने के अधिकार से वंचित किया जाता है । इससे प्रभवित लोगों द्वारा विरोध प्रकट करने के बावजूद कि यह उनके समानता के अधिकार का हनन है शासन कोई ध्यान नहीं देता। यदि शासन लोगों के मूलभूत अधिकारों का इस तरह हनन् करता है तो वे क्या कर सकते हैं?

यदि मूलभूत अधिकारों कॊ लागू करने की जिम्मेदारी शासन की मर्जी पर छोड़ दी जाय तो इन अधिकारों का कोई मतलब नहीं बनता। हम सबका अनुभव यह रहा है कि अधिकतर सरकार और शासन द्वारा उठाये गये कदमों से ही मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। इसलिये संविधान ने अदालतों की व्यवस्था की है जिससे इन अधिकारों का पालन किया जा सके। कोई भी व्यक्ति अपने मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ अपने राज्य के उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। यदि किसी के मूलभूत अधिकारों को खतरा भी है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट क्या है ?

हमारे देश में अनेक अदालतें हैं। हरेक अदालत को अलग-अलग अधिकार हैं। मुफस्सल अदालतें हैं, जिला अदालतें हैं। हर राज्य में उनके ऊपर हाई कोर्ट है। सबके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत है और हरेक को इसका आदेश मानना पड़ता है।

साधारणतः कोई भी व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। पहले आपको निचली अदालत में जाना होगा। निचली अदालत के निर्णय से असंतुष्ट होने पर हाई कोर्ट में जाना होगा और यदि आप हाई कोर्ट के भी निर्णय से असंतुष्ट हैं तभी आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। परन्तु मौलिक अधिकार

के महत्व को देखते हुए यदि आपके किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अपील करना आपका मौलिक अधिकार है।

आप अपने मौलिक अधिकारों के हनन की शिकायत सीधे अपने राज्य के उच्च न्यायालय यानि हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट कहां है?

सुप्रीम कोर्ट देश की राजधानी दिल्ली में है। वहां ऐसे कई जज हैं जो कि लोगों द्वारा मदद मांगे जाने पर सुनवाई करते हैं।

किसी के मूलभूत अधिकारों को लागे करने में कोर्ट क्या कर सकते हैं?

कोर्ट शासन को या जो भी मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है उसे उल्लंघन रोक देने के लिये आदेश दे सकता है।

कोर्ट के वे आदेश जो शासन को कुछ करने या न करने के लिये कहते हैं समादेश; (writ) कहलाते हैं। रिट केवल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही जारी की जा सकती है।

रिट जो ये अदालतें जारी कर सकती हैं निम्नानुसार हैः

हेबयस कॉर्पस (बन्दी-प्रत्यक्षीकरण) – इसका मतलब होता है सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को अदालत में पेश करना। यह समादेश व्यक्ति को गैरकानूनी हिरासत से मुक्त कराने के लिये जारी किया जाता है। गैर कानूनी हिरासत का मतलब है किसी व्यक्ति को जबरदस्ती या गैर कानूनी ढंग से कहीं बन्द रखना। किसी भी व्यक्ति को पुलिस स्टेशन में अदालत की इजाजत के बगैर 24 घंटे से ज्यादा रखना गैर कानूनी है। इसी तरह जो व्यक्ति अपनी सजा पूरी कर चुका है उसे जेल में रखना गैरकानूनी है। हाई कोर्ट किसी प्राईवेट पार्टी द्वारा किसी को गैर कानूनी तौर पर बंद करने के खिलाफ भी समादेश जारी कर सकता है। इस हालत में अदालत समादेश पुलिस को जारी करेगी कि वह गैरकानूनी ढंग से बंद किये गये व्यक्ति को अदालत में पेश करे।

क्वो वौरेन्टो (अधिकार पृच्छा) – इस अदालती समादेश के द्वारा किसी से कहा जाता है कि वह यह साबित करे कि वह जिस उच्च शासकीय पद पर है उस

पर उसे रहने का अधिकार है। इस समादेश का उददेश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे शासकीय पद पर न रह सके जिसके लिये कानूनी रूप से वह योग्य नहीं है।

सर्टिऑराराई (उत्प्रेषण लेख) – यह समादेश वहां जारी किया जाता है जहां निचली अदालत के निर्णयेां को खारिज करने के लिए कहा जाता है। वो निर्णय है जो निचली अदालत अपनी सीमा का उल्लंघन करते हुए जारी करती है और जो व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों का हनन् करती है।

प्रोहिबिशन (निषेधाज्ञा) – यह समादेश निचली अदालत को जारी किया जाता है जिससे उसे रोका जा सके, ऐसे मामले को सुनने के लिए जिसका निचली अदालत को अधिकार नहीं होता है और जो किसी के मूलभूत अधिकारों का उल्लघंन करता है।

मैन्डेमस (परमादेश) – इस समादेश के द्वारा अदालत किसी भी लोक या शासकीय अधिकारी को कोई खास काम करने के लिये कहती है जो किसी के मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिये आवश्यक हैं। या कोई खास काम न करने के लिये कहती है जिससे किसी के मूलभूत अधिकारों पर आँच आयेगी।

मान लीजिये सरकार अदालत से यह कहता है कि वे लोगों को अदालतों में अपील न करने दें?

सरकार अदालत से यह नहीं कह सकता। हमारा संविधान कहता है कि न्यायपालिका या अदालतें, कार्यपालिका तथा संसद या विधान सभाओं से स्वतंत्र है। इसका अर्थ है कि सरकार को अदालतों पर नियंत्रण लगाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि सरकार ऐसा कोई कानून बनाता भी है तो सुप्रीम कोर्ट उसे हमारे संविधान के विरूद्ध बताकर रद्ध कर देगा।

सरकार तो कोई भी कानून बना सकती है। मान लीजिए सरकार ऐसा कानून बनाती है जो कहता है कि अदालत सरकार के खिलाफ कोई निर्णय नहीं दे सकती। ऐसे में आम व्यक्ति क्या कर सकता है?

हमारा संविधान सरकार को ऐसा कानून बनाने से रोकता है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो।

सुप्रीम कोर्ट में अपील करना खुद एक मूलभूत अधिकार है। कोई भी कानून किसी के मूलभूत अधिकार पर रोक लगाता हो तो वह अवैध और निष्प्रभावी होगा। एक समादेश याचिका दायर होते ही सुप्रीम कोर्ट इस कानून को अवैध करार देगा।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने अधिकारों को लागू करवाने के लिये हमें क्या तरीका अपनाना चाहिये?

इसके लिये आपको सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करनी पड़ेगी । इसे आप खुद या अपने वकील के द्वारा दायर कर सकते हैं। वकील के द्वारा याचिका दायर करना बेहतर है क्योंकि वकील जानता है कि याचिका में क्या लिखा जाना चाहिये।

वकील यह काम अपनी फीस लेकर कर देगा। सुप्रीम कोर्ट भी याचिका के लिये एक मामूली फीस लेता है।

हमारे द्वारा याचिका दायर करने के बाद जज क्या करेंगे ?

याचिका दायर करने के बाद आपको एक तारीख दी जाएगी। उस तारीख को आपके वकील को अदालत में जरूर उपस्थित होना चाहिए। यदि आप चाहें तो आप भी वकील के साथ जा सकते हैं। जज आपकी याचिका को पढ़ेंगे और आपकी वकीलों की दलीलों को सुनेंगे। अगर उन्हें ऐसा लगेगा कि आपके किसी मौलिक अधिकार का हनन हुआ है या सरकार द्वारा ऐसा किया जाने की संभावना है तो वह सरकार को नोटिस देकर इस बारे में स्पष्टीकरण मांगेंगे। यह प्रक्रिया **अर्जी का ग्रहण (ऐडमीशन)** कहलाती है। सरकार का जबाब मिलने के बाद जज यह फैसला करेंगे कि क्या वास्तव में आपके किसी मौलिक अधिकार का हनन् हुआ है या नहीं।

अगर जज इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मूलभूत अधिकार का वास्तव में हनन हुआ है तो वे क्या करेंगे?

उस हालत में वे सरकार को आदेश देंगे कि उसने मूलभूत अधिकार के हनन का जो कार्य किया है उसे बंद कर दे या ऐसा जो कार्य वह करने जा रहा है उसे न करे। जज शासन को याचिका दायर करने वाले के मूलभूत अधिकार के उल्लंघन के लिये मुआवजा देने का आदेश भी दे सकते हैं।

यदि शासन कोर्ट की बात नहीं मानता, तो इसका क्या इलाज है?

आप एक अर्जी के द्वारा कोर्ट को सूचित कीजिये कि सम्बन्धित विभाग या शासन ने उसके आदेश को नहीं माना है।

उस हालत में कोर्ट क्या करेगा?

कोर्ट के आदेश को न मानना एक गंभीर अपराध है। इसे अदालत की अवमानना कहते हैं। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश न मानने वाले व्यक्ति के मन में देश के सर्वोच्च न्यायालय के लिये, जो सबके अधिकारों का तथा कानून के शासन का रक्षक है, इज्जत नहीं है। अदालत की अवमानना के अपराधी व्यक्ति को जुर्माना या जेल की सजा तक हो सकती है।

अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए
सुप्रीम कोर्ट से मदद लेना भी आपका
मौलिक अधिकार है।

सरिता के मोहल्ले में नगर निगम की लापरवाही से एक खतरनाक बीमारी फैल गयी। कारण यह था कि नगर निगम ने वहाँ ठीक से सफाई की व्यवस्थ नहीं की थी । सरिता ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पेश की। उसने कहा कि इस महामारी से उसके जीने के अधिकार को धक्का पहुंचा है। वह हमेशा असुरक्षित महसूस करती है कि कहीं उसके बच्चे या वह खुद बीमार न पढ़ जाये। सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक गंभीर मामला मानकर म्युनिसिपल कमिश्नर को कोर्ट में पेश होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया। कमिश्नर ने यह कहा

कि वह कोर्ट में उपस्थित होकर अपना समय नष्ट नहीं कर सकता। उसने एक कनिष्ठ अधिकारी को पूरी जानकारी के साथ कोर्ट भेज दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह उसकी अवमानना है क्योंकि कोर्ट के आदेश के अनुसार कमिश्नर को ही व्यक्तिगत रूप से वहां उपस्थित होना था। माना कि कमिश्नर एक अफसर है किन्तु उसे भी कोर्ट का आदेश मानना जरूरी था।

सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। यदि हम देश के दूसरे कोने में रहते हैं तो हम दिल्ली जाकर याचिका कैसे दायर कर सकते हैं ? वकील की फीस और यात्रा के खर्च के अलावा हमें कई दिन की आमदनी का भी नुकसान उठाना पड़ेगा। गरीबों के लिये तो अपने अधिकारों की रक्षा के लिये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना असंभव प्रतीत होता है।

यह सच है कि तमाम लोगों के लिये अपने अधिकारों की रक्षा की खातिर सुप्रीम कोर्ट जाना बहुत मुश्किल है। इसलिये ऐसी याचिका हर राज्य के हाईकोर्ट में भी दायर की जा सकती है।

लेकिन बहुत से लोग तो अपने पड़ोस के गाँव तक नहीं जा सकते। राज्य की राजधानी में स्थित हाई कोर्ट वे कैसे जाएंगे?

कोर्ट ने लोगों की इस कठिनाई को समझ कर लोगों को न्याय की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये कुछ तरीके निकाले हैं।

हम अपने मूलभूत अधिकारों की रक्षा किन तरीकों से कर सकते हैं ?

आप ऐसा निम्नलिखित तरीकों से कर सकते हैं–

- सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके, अथवा
- हाईकोर्ट में याचिका दायर करके, अथवा
- अपने राज्य के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को सीधे पत्र लिखकर,
- किसी के द्वारा अपनी याचिका दायर करवाकर

- किसी के द्वारा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखवाकर।

सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका कोर्ट के नियमों के अनुसार ही दायर की जानी चाहिये। यह एक खास तरह के कागज पर टाइप होनी चाहिये। यह कागज कोर्ट के अंदर मिलता है।

हमने सुना है कि वकील बड़ी फीस लेते हैं। यदि हम उनकी फीस देने में असमर्थ हैं तो हमारी शिकायत कोर्ट के सामने ठीक से रखी न जा सकेगी। क्या कोर्ट इस कठिनाई में हमारी मदद कर सकता है।

सरकार ने देश की हर अदालत में **कानूनी सहायता कक्ष** स्थापित किये हैं। सभी जिला अदालतों,हाई कोर्टों में तथा सुप्रीम कोर्ट में ये कक्ष हैं । आप इन कक्षों में कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यह कक्ष आपको एक वकील देगा जो आपका मुकदमा बिना फीस के लड़ेगा ।

हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पत्र लिखना।

चूंकि हमारे देश में ज्यादातर लोग इतने गरीब हैं कि यात्रा का खर्च उठाकर या वकील करके कोर्ट में अपना केस नहीं दायर कर सकते। कोर्ट ने कुछ ऐसे तरीके निकाले हैं जिससे ये लोग बिना ज्यादा खर्च उठाये या कोर्ट के कठिन कायदे कानून से जूझे कोर्ट के सामने

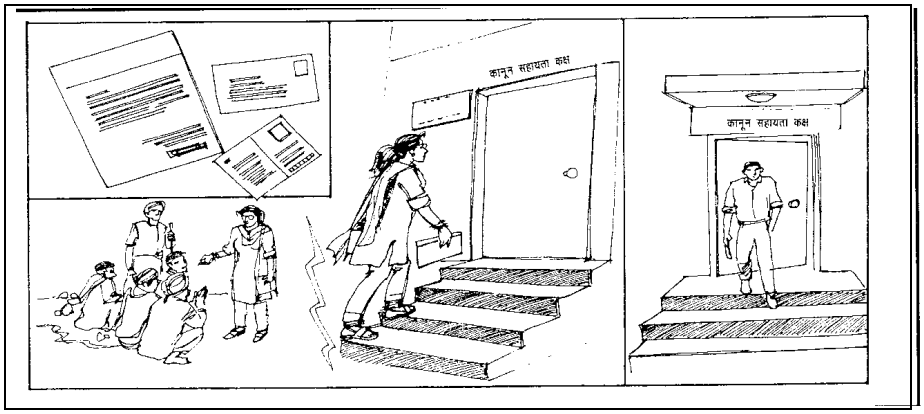

कानूनी सहायता की मांग कौन कर सकता है?

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 नामक एक कानून है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित लोग **मुफ्त** कानूनी सहायता मांग सकते हैं।

1 औरतें व बच्चे

2 वे लोग जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हैं।

3 वे लोग जो बेघर हैं या मानसिक रूप से अपाहिज हैं।

4 ऐसे लोग जो किसी भी दंगे बाढ़/सूखा/भूकम्प/जातिय हिंसा/ औधैगिक विनाश के शिकार हैं।

5 किसी भी फैक्टरी या मिल के मजदूर हैं।

6 ऐसे लोग जो हिरासत में हैं या फिर किसी किशोर गृह/संरक्षण गृह, मानसिक चिकित्सालय/नर्सिंग होम में हैं।

7 ऐसे व्यक्ति जिनकी सालाना आमदनी रू 50,000/- से कम होगी वह उच्च न्यायालय तक मुफ्त कानूनी सहायता पाने के हकदार होंगे। ऐसे व्यक्ति जिनकी सालाना आमदनी 50,000/- से कम होगी वह उच्चतम न्यायालय तक मुफ्त कानूनी सहायता पाने के हकदार होंगे।

8 भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता सैनिन व उग्रवाद से पीड़ित आश्रितों को भी मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी।

इस कानून के अंतर्गत सरकार द्वारा मुफ्त कानूनी सहायता केन्द्र हर जिला एवं राज्य में स्थापित किए गए हैं।

अपनी शिकायत पेश कर सकते हें । इनमें से एक तरीका है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर अपने मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन सबंधी तथ्यों का वर्णन करना । कोर्ट आपके पत्र को याचिका समझकर शिकायत की जांच करेगा और आपको एक तारीख देगा। बाकी सारी प्रक्रिया वैसी ही होगी जैसी याचिका दायर करने पर होती है।

किसी दूसरे के द्वारा कोर्ट को पत्र लिखना या याचिका दायर करवाना ।

कभी कभी मूलभूत अधिकारों के उललंघन के प्रकरण कोर्ट के सामने किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा भी लाये जा सकते हैं ।

बहुत सी औरतें जेल में बरसों से बंद थीं । वकील करने की उनकी हैसियत नहीं थी । यहां तक कि वे अपनी जमानत के लिये भी कुछ नहीं कर पा रहीं थी । एक पत्रकार को जब यह दुखत बात मालूम हुई तो उसने अदालत को एक पत्र लिखा और इस ओर ध्यान दिलाया । अदालत ने जेल अधिकारियों तथा कानूनी सहायता कक्ष को आदेश दिया कि इन औरतों को वकील की सेवाएं उपलब्ध करायी जायें ।

ऐसे अनेक प्रकरणों में कोर्ट अखबार में खबर पढ़ने पर भी कार्यवाही करता है।

हमारे देश में बहुत से लोग अनपढ़ और गरीब हैं। अगर कोर्ट जाने के लिए उन्हें किसी और की मदद नहीं ली जाने दी जाती है तो वह कभी भी न्याय नहीं पा सकेंगे। ऐसे में उनके अधिकारों का क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट इस समस्या को समझता है। इसीलिए कोर्ट ने अपने तक पहुँचने के रास्ते आसान कर दिये हैं। यह सुविधा केवल मौलिक अधिकारों के संदर्भ में ही उपलब्ध है। चूंकि मौलिक अधिकार अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं उन्हें विधि द्वारा सीमित करना उचित नहीं है। अब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से जिसके मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है याचिका दायर कर सकता है। इसे **जनहित याचिका** कहते हैं। जनहित याचिका के लिए भी कुछ नियम हैं।

हमारे गॉव के आस-पास बहुत से बंधुआ मजदूर पत्थर की खदानों में काम करते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में उनके हक के लिए याचिका कैसे डाल सकते हैं क्योंकि पत्थर खदान का मालिक और ठेकेदार दोनों ही प्राईवेट काम करते हैं।

ठेकेदार और खदान का मालिक सरकारी काम नहीं करते, फिर भी सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं पायेगी। किसी के भी मौलिक अधिकारों का हनन न हो, यह सरकार की

जनहित मुकदमा (याचिका) तभी दायर किया जा सकता है जबः

- एक असली अधिकार की रक्षा की जानी है। तुच्छ दावों की कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा।
- जनता के काफी बड़े वर्ग के अधिकारों का प्रश्न है।
- किसी व्यक्ति विशेष के निजी लाभ के लिये याचिका दायर नहीं की गई है। यदि कोर्ट को ऐसा प्रतीत होता है कि याचिका का उददेश्य व्यक्तिगत लाभ है या किसी से बदला लेना है तो कोर्ट भारी जुर्माना ठोक सकता है।

जिम्मेदारी है। आप सुप्रीम कोर्ट में चिटठी लिखकर यह बता सकते हैं या उन बंधुआ मजदूरों की ओर से याचिका डाल सकते हैं। आप ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि यह बंधुआ मजदूर ऐसी हालत में नहीं हैं कि वह खुद कोर्ट जाकर अपने मौलिक अधिकारों के हनन को रोक सकें। इसलिए कोई भी आगे बढ़कर उनकी मदद कर सकता है।